केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रमंरोसृका)

1. योजना

भारत सरकार ने 31.03.2008 तक परिचालन में रही दो योजनाओं प्रधान मंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (ग्रारोसृका) को एक में मिलाकर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर के सृजन के उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रमंरोसृका) नामक एक नई ऋण-सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम अनुमोदित किया है। प्रमंरोसृका केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। योजना का कार्यान्वयन सूलमउ मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल अभिकरण के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (खा.ग्रा.आयोग) करेगा। राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (खाग्रा बोर्ड), जिला उद्योग केंद्र और बैंक करेंगे। योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी, खाग्रा आयोग द्वारा, चुने हुए बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों / उद्यमियों को उनके बैंक खाते में वितरित करने के लिए दी जाएगी। कार्यान्वयी अभिकरण अर्थात् खा.ग्रा.आयोग, खा.ग्रा.बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र योजना के कार्यान्वयन में, विशेष रूप से लाभार्थियों के चयन, क्षेत्र-विशिष्ट लाभप्रद परियोजनाओं की पहचान और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के क्षेत्र में, प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों / प्रतिष्ठित स्वायत्त संस्थाओं/ स्वयं सहयता समूहों / राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों / राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्यमी मित्रों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य संबंधित निकायों को अपने साथ संबद्ध करेंगे।

2. उद्देश्य

(i) नए स्वरोजगार उद्यमों / परियोजनाओं / सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

(ii) व्यापक रूप से दूर-दूर अवस्थित परंपरागत कारीगरों / ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और जहाँ तक संभव हो, स्थानीय स्तर पर ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करना।

(iii) देश के परंपरागत और संभावित अधिकतर कारीगरों, ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर उनका पलायन रोका जा सके।

(iv) कारीगरों की पारिश्रमिक-अर्जन क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

3. वित्तीय सहायता की प्रमात्रा और प्रकृति

प्रमंरोसृका के अंतर्गत निधीयन के स्तर

प्रमंरोसृका के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत में)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत में)	
क्षेत्र परियोजना / इकाई की अवस्थिति)		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि	5%	25%	35%

टिप्पणी : (1) विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना / इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत रु.25 लाख है।

(2) व्यवसाय / सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना / इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत रु.10 लाख है।

(3) कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा मियादी त्रृण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

4. लाभार्थी के लिए पात्रता की शर्तें

(i) 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति ।

(ii) प्रमंरोसृका के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहयोग हेतु कोई आय सीमा नहीं होगी।

(iii) विनिर्माण क्षेत्र में रु.10 लाख और व्यवसाय / सेवा क्षेत्र में रु. 5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

(iv) केवल प्रमंरोसृका के अंतर्गत संस्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए ही इस योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध है।

(v) स्वयं सहायता समूह (गरीबी रेखा से नीचे के समूहों सहित, बशर्ते उन्होंने किसी अन्य योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लिया हो) भी प्रमंरोसृका के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं।

(vi) सोसायटी रजिस्ट्री अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएँ।

(vii) उत्पादन सहकारी समितियाँ।

(viii) दानदाता न्यास।

(ix) वर्तमान इकाइयाँ (प्रमंरोयो, ग्रारोसृका या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत) तथा वे इकाइयाँ जो भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, पात्र नहीं हैं।

4.1 पात्रता की अन्य शर्तें

(i) अन्य विशेष श्रेणियों के मामले में लाभार्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति / समुदाय प्रमाणपत्र या संगत प्रपत्रों की अभिप्रमाणित प्रति, मार्जिन राशि (सब्सिडी) के दावे के साथ, संबंधित बैंक-शाखा को प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) जहाँ भी आवश्यक हो, संस्था के उप-नियमों की एक अभिप्रमाणित प्रति मार्जिन राशि (सब्सिडी) के दावे के साथ संलग्न करना अपेक्षित होगा।

(iii) परियोजना लागत में पूँजी व्यय और कार्यशील पूँजी का एक चक्र शामिल होंगे। इस योजना के अंतर्गत पूँजी-व्यय रहित परियोजनाएँ, वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं। रु.5 लाख से अधिक लागत वाली जिन परियोजनाओं में कार्यशील पूँजी अपेक्षित नहीं हो, उनके मामले बैंक-शाखा के क्षेत्रीय कार्यालय या नियंत्रक कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और दावों को यथास्थिति, क्षेत्रीय कार्यालय या नियंत्रक कार्यालय के अनुमोदन की अभिप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(iv) जमीन की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जा सकेगा। बने-बनाए और पट्टे पर या किराये पर वर्कशेड / वर्कशॉप लेने की लागत को परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है, किंतु इस शर्त के अधीन कि परियोजना लागत में शामिल की जाने वाली, बने-बनाए और पट्टे पर या किराये पर वर्कशेड / वर्कशॉप लेने की लागत की गणना अधिकतम केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए ही की जाएगी।

(v) ग्रामोद्योगों की निषिद्ध सूची में निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर ग्रामोद्योग परियोजनाओं सहित सभी नए व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों पर प्रमंरोसृका लागू है। वर्तमान / पुरानी इकाइयाँ पात्र नहीं हैं (संदर्भ : मार्गनिर्देश का परिच्छेद 29)।

टिप्पणी :

(1) वे संस्थाएँ / उत्पादन सहकारी समितियाँ / न्यास जो विशेष रूप से इन रूपों में पंजीकृत हों, और अजा/ अजजा/ अपिव/ महिला/ शारीरिक विकलांग/ पूर्व-सैनिक और अल्पसंख्यक संस्थाएँ, जिनके उप नियमों में इस आशय के आवश्यक प्रावधान हों, विशेष श्रेणियों के लिए मार्जिन राशि (सब्सिडी) हेतु पात्र हैं. किंतु जो संस्थाएँ/ उत्पादन सहकारी समितियाँ/ न्यास, विशेष श्रेणियों की संस्थाएँ/ समितियाँ/ न्यास के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, वे सामान्य श्रेणियों के लिए मार्जिन राशि (सब्सिडी) हेतु पात्र होंगी।

(2) प्रमंरोसृ कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना स्थापित करने के लिए एक परिवार से एक ही व्यक्ति पात्र है. 'परिवार' में स्वयं और पति / पत्नी शामिल हैं।

5. कार्यान्वयी अभिकरण

5.1 यह योजना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 के माध्यम से स्थापित एक सांविधिक निकाय है। खाग्रा आयोग राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल अभिकरण होगा। राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग बोर्डे और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला उद्योग केंद्रों द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में यह योजना एकमात्र जिला उद्योग केंद्रों द्वारा ही कार्यान्वित की जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों /राज्य जिला उद्योग केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन की निगरानी करेगा। खाग्रा आयोग और जिला उद्योग केंद्र प्रमंरोसृका के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों, राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्यमी मित्रों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करेंगे।

5.2 अन्य अभिकरण

प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन में साथ लिए जाने वाले अन्य अभिकरणों का विवरण निम्नानुसार है :

i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, और उसके राज्य कार्यालयों के अधिकारी।

ii) राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड।

iii) राज्य सरकारों / संघशासित क्षेत्र के, संबंधित आयुक्तों / सचिवों (उद्योग) को प्रतिवेदन भेजने वाले जिला उद्योग केंद्र।

iv) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ।

v) खादी ग्रामोद्योग फेडरेशन।

vi) महिला और बाल विकास विभाग, नेहरू युवा केंद्र संगठन, आर्मी वाइव्ज वेलफेयर एसोसियेशन ऑफ इंडिया और पंचायती राज संस्थाएँ।

vii) लघु कृषि और ग्रामोद्योग संवर्धन एवं तकनीकी परामर्श सेवा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण में परियोजना परामर्श का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठन, जिनके पास अपेक्षित बुनियादी संरचना और राज्य या जिले में ग्राम तथा तालुका स्तर पर पहुँचने के लिए अपेक्षित मानव शक्ति हो। साथ ही, गैर-सरकारी संगठन को राज्य या राष्ट्रीय स्तर के सरकारी अभिकरण ने पिछले 3 वर्ष की अवधि में निधि उपलब्ध कराई हो।

viii) सरकार / विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त व्यवसायिक संस्थाएँ / तकनीकी महाविद्यालय, जिनके पास व्यवसायिक मार्गदर्शन के लिए विभाग, या कौशल-आधारित प्रशिक्षण देने के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम हों, जैसे ओद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, ग्रामीण पॉलीटेकनिक, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण संस्थान आदि।

ix) खाग्रा आयोग/ खाग्रा बोर्ड से सहायता प्राप्त प्रमाणीकृत खादी ग्रामोद्योग संस्थाएँ बशर्ते वे ए+, ए या बी श्रेणी की हों और उनके पास इस भूमिका के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ, मानवशक्ति और विशेषज्ञता हो।

X) खाग्रा आयोग/ खाग्रा बोर्ड के विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्र।

xi) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान, एमएसएमई टूल रूम और तकनीकी विकास केंद्र, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में हों।

xii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कार्यालय, तकनीकी केंद्र और सरकारी-निजी साझेदारी से स्थापित इन्क्यूबेट और प्रशिक्षण-सह-इन्क्यूबेशन केंद्र।

xiii) सूलमउ मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थान, उनकी शाखाएँ और उनकी सहभागी संस्थाओं द्वारा स्थापित उद्यमिता विकास केंद्र।

xiv) सूलमउ मंत्रालय की राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्यमी मित्र।

xv) प्रमंरोसृका फेडरेशन, जब भी स्थापित हों।

6. वित्तीय संस्थाएँ

(i) 27 सरकारी क्षेत्र के बैंक।

(ii) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

(iii) प्रधान सचिव (उद्योग) / आयुक्त (उद्योग) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यदल समिति द्वारा अनुमोदित सहकारी बैंक।

(iv) प्रधान सचिव (उद्योग) / आयुक्त (उद्योग) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यदल समिति द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

(v) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)।

7. लाभार्थियों का चयन

लाभार्थियों का चयन, जिला स्तर पर एक कार्य दल द्वारा किया जाएगा जिसमें खाग्रा आयोग / राज्य खाग्रा बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और बैंकों के प्रतिनिधि होंगे। कार्य दल के अध्यक्ष संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / कलक्टर होंगे. इस प्रक्रिया में बैंकरों को आरंभ से ही शामिल करना होगा ताकि आवेदन पत्रों के बड़ी संख्या में इकट्ठा होने से बचा जा सके। लेकिन जो आवेदक उद्यमिता विकास कार्यक्रम / कौशल विकास कार्यक्रम /

उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कम-से-कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, वे अपने आवेदन पत्र सीधे बैंक को प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु बैंक आवेदन पत्र को कार्यदल के पास विचारार्थ भेजेगे. अधिक राशि की सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए परियोजना लागत को बढ़ाकर दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से आयोग एक 'स्कोर कार्ड' तैयार करेगा और उसे कार्यदल तथा राज्य / जिला स्तर के अन्य अधिकारियों को प्रेषित करेगा। इसी स्कोर बोर्ड के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा. स्कोर कार्ड को खाग्रा आयोग और सूलमउ मंत्रालय की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। चयन की प्रक्रिया पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होनी चाहिए और उसमें पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए. (संदर्भ : मार्गनिर्देश का परिच्छेद II (i) (ख)।

8. बैंक वित्त

8.1 लाभार्थी / संस्था के सामान्य श्रेणी का होने की स्थिति में, बैंक परियोजना लागत के 90% और विशेष श्रेणी का होने की स्थिति में 95% की दर से वित्तपोषण की मंजूरी देगा, और परियोजना की स्थापना के लिए उपयुक्त रीति से पूरी राशि संवतरित करेगा।

8.2 बैंक पूँजी व्यय के लिए मियादी ऋण के रूप में और कार्यशील पूँजी के लिए कैश क्रेडिट के रूप में वित्त उपलब्ध करायगा. बैंक परियोजना का वित्तपोषण सम्मिश्र ऋण के रूप में भी कर सकता है, जिसमें पूँजी व्यय और कार्यशील पूँजी-व्यय भी शामिल होंगे। 15-35% मार्जिन राशि (सब्सिडी) और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के मामले में 10% और विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के मामले में 5% के परियोजना धारक के अंशदान की कटौती करने के बाद बैंक ऋण की राशि परियोजना लागत के 60 से 75% तक होगी। इस तरह योजना के अंतर्गत सहभागी बैंकों को अवशेष राशि का आबंटन और मंजूरी करनी होगी। इस लक्ष्य को हासिल करना संभव होगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पहले ही इस आशय के मार्गनिर्देश जारी किए हैं, कि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों के लिए ऋण के प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि सुनिश्चित करें। सिडबी भी सूक्ष्म उद्यमों के लिए अपने ऋण परिचालनों को सुदृढ़ बना रहा है, ताकि 2006-07 से आरंभ कर 5 वर्षों में वह 50 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों का वित्त पोषण कर सकें। सिडबी को अन्य अनुसूचित / वाणिज्य बैंकों के साथ-साथ प्रमंरोसृका के अंतर्गत सहभागी वित्तीय संस्था के रूप में मान्यता दी गई है।

8.3 यद्यपि बैंक परियोजना रिपोर्ट में पूँजी व्यय के अनुमानों और मंजूरी के आधार पर मार्जिन राशि (सब्सिडी) का दावा करेंगी किन्तु, केवल वास्तविक उपयोग की गई राशि पर ही अनुमन्य मार्जिन राशि ही रखी जाएगी और

परियोजना के उत्पादन के लिए तैयार हो जाने के तुरंत बाद यदि कोई अतिरिक्त राशि बची होगी तो उसे आयोग को वापस किया जाएगा।

8.4 कार्यशील पूँजी घटक का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह कैश-क्रेडिट की 100% सीमा को, मार्जिन राशि की तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि में किसी समय प्राप्त कर ले और वह मंजूर सीमा के 75% से कम न हो, यदि उपयोग पूर्वोत्त सीमा तक नहीं होता तो बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा मार्जिन राशि (सब्सिडी) की आनुपातिक राशि वसूल की जाएगी और उसे तीसरे वर्ष की समाप्ति पर खाग्रा आयोग को वापस किया जाएगा।

8.5 ब्याज दर और चुकौती अनुसूची

सामान्य दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा। संबंधित बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित आरंभिक स्थगन अवधि के बाद 3 से 7 वर्ष की चुकौती अनुसूची हो सकती है. यह देखा गया है कि बैंक किसी प्रस्ताव के गुण-दोष पर विचार किए बिना रुटीन के तौर पर ऋण गारंटी कवरेज पर जोर देते रहे हैं। इसे निरुत्साहित करने की आवश्यकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को प्रमंरोसृका के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी को प्रथमिकता देने के लिए आवश्यक मार्ग-निर्देश जारी करेगा। वह इस संबंध में भी उपयुक्त मार्ग-निर्देश जारी करेगा कि किन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य बैंकों को इस योजना के कार्यान्वयन से बाहर रखना है।

9. उद्योग

कॅयर-आधारित परियोजनाओं (निषिद्ध सूची में उल्लिखित को छोड़कर) सहित कोई भी **उद्योग जिसमें** बिजली का उपयोग करते हुए या उसके बिना किसी वस्तु का उत्पादन करता हो या कोई सेवा देता हो और जिसमें प्रति पूर्णकालिक कारीगर या कामगार, अचल पूँजी-निवेश समतल क्षेत्रों में रु.1 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में रु. 1.50 लाख से अधिक नहीं हो, जिसका अर्थ है वर्कशॉप / वर्कशेड, मशीनरी और फर्नीचर पर पूँजी व्यय में परियोजना से सृजित पूर्णकालिक रोजगार में भाग देने पर प्राप्त राशि।

10. ग्रामीण क्षेत्र

(i) राज्य / संघ-शासित क्षेत्र के राजस्व अभिलेखों के अनुसार, ग्राम के रूप में वर्गीकृत कोई भी क्षेत्र चाहे उसकी आबादी कितनी भी हो।

(ii) इसमें शहर के रूप में वर्गीकृत वे क्षेत्र भी शामिल होंगे जहाँ की आबादी 20,000 से अधिक नहीं होगी।

11. योजना के परिचालन की कार्य-पद्धति

(i) अखबारों, विज्ञापनों, रेडियो और अन्य मल्टी-मीडिया के माध्यम से, जिले को आबंटित लक्ष्य के आधार पर विभिन्न समयांतरालों पर खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा जिला स्तर पर संभावित लाभार्थियों से परियोजना-प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएँगे। योजना को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी प्रचारित/ प्रसारित किया जाएगा, जो स्वयं भी लाभार्थियों के चयन में सहयोग देंगी।

(क) परियोजना को किसी अभिकरण द्वारा प्रायोजित किया जाना अनिवार्य नहीं है। लाभार्थी अपने-अपने परियोजना प्रस्ताव के साथ सीधे बैंक / वित्तीय संस्था से संपर्क कर सकता है या वह खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र, पंचायत कार्यालय आदि द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है, लेकिन बैंकों को सीधे प्राप्त आवेदन विचार के लिए कार्यदल को प्रेषित किए जाएँगे।

(ख) प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के लिए एक कार्यदल गठित किया जाएगा जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे।

जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / कलेक्टर	अध्यक्ष
अग्रणी जिला प्रबंधक	सदस्य
खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
नेहरू युवा केंद्र / अजजा निगम	विशेष आमंत्रित
सूलमउ विकास संस्था / आईटीआई, पॉलिटेकनिक का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित
पंचायतों के प्रतिनिधि	तीन सदस्य
(जिनका नामांकन अध्यक्ष / जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / कलक्टर द्वारा बारी-बारी से किया जाएगा.)	
निदेशक, जिला उद्योग केंद्र या आयोग का राज्य निदेशक/राज्य खा.ग्रा.बोर्ड के प्रतिनिधि	संयोजक सदस्य

(ग) जिलास्तरीय कार्यदल आवेदनों की संवीक्षा करेगा और अनुभव, तकनीकी योग्यता, कौशल, परियोजना की व्यवहार्यता आदि के आधार पर आवेदनों की छटनी करेगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए आवेदकों को अलग-अलग साक्षात्कार हेतु बुलाएगा ताकि प्रस्तावित परियोजना के बारे में उनकी जानकारी, उनकी अभिवृत्ति, अभिरुचि, कौशल और उद्यमिता, बाजार की उपलब्धता, चुकौती और परियोजना को सफल बनाने के प्रति उनकी निष्ठा का आकलन किया जा सके। चुने हुए प्रत्याशियों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग / खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा परियोजना तैयार करने में मार्गदर्शन दिया जाएगा और उनका उन्मुखीकरण किया जाएगा। वे परियोजना तैयार कर उन्हें क्षेत्र के संबंधित बैंक में जमा करने में भी प्रत्याशियों का मार्गदर्शन और सहयोग करेंगे। इस विषय में सहयोग के लिए आवेदनकर्ता इस मार्गनिर्देश के परिच्छेद 5.2 में सूचीबद्ध अन्य अभिकरणों से भी संपर्क कर सकते हैं।

(घ) खाग्रा आयोग राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य स्तर पर नोडल बैंकों का चयन करेगा और उनकी सूची सभी कार्यान्वयी अभिकरणों को प्रेषित करेगा।

(ii) कार्यान्वयी अभिकरणों को निधियाँ निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएँगी :

(क) प्रमंरोसृका के अंतर्गत सरकार, नोडल कार्यान्वयी अभिकरण यानी खाग्रा आयोग को निधियाँ उपलब्ध कराएगी, जो आगे (सरकार से पैसा प्राप्त होने से 15 दिनों के भीतर) मार्जिन राशि (सब्सिडी) निधियों को, प्रत्येक कार्यान्वयी अभिकरण को आवंटित लक्ष्यों के अनुसार उनके संबंधित खातों में राज्य स्तर पर कार्यान्वयी बैंकों में रखेगा। इस के साथ-साथ, खाग्रा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक राज्य को आवंटित मार्जिन राशि (सब्सिडी) संबंधी लक्ष्यों के बारे में राज्यों के प्रधान सचिवों / सचिवों (उद्योग) / आयुक्तों (उद्योग) को सूचित करेंगे। राज्य के अलग-अलग जिलों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण राज्य स्तरीय बैंकर समन्वयन समिति करेगी। समिति सभी जिलों में लक्ष्यों का समान वितरण सुनिश्चित करेगी। खाग्रा आयोग द्वारा खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड से संबंधित राज्यवार लक्ष्यों की जानकारी राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति को दी जाएगी जो जिला-वार लक्ष्यों के समग्र आंवटन के बारे में निर्णय लेगा। लक्ष्यों में किसी भी आशोधन की अनुमति, जिसके लिए सीधे खाग्रा आयोग जिम्मेदार होगा, मंत्रालय की सहमति से ही दी जा सकेगी।

(ख) खाग्रा आयोग राज्य/ जिले में कार्यान्वयी बैंक को आवंटित लक्ष्यों के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन में शामिल बैंकों के पास मार्जिन राशि (सब्सिडी) रखेगा। बैंकों के निकट समन्वय से जिला उद्योग केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि वे आंवटित मार्जिन राशि (सब्सिडी) के न्यूनतम 50% का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना के लिए करें।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल अभिकरण के रूप में खाग्रा आयोग चुने हुए कार्यान्वयी अभिकरणों यानी खाग्रा बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों व अन्य के साथ समन्वय स्थापित करेगा। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में परिकल्पित अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य - ई-ट्रैकिंग, वेब-प्रबंधन, प्रचार-प्रसार, इकाइयों के भौतिक सत्यापन, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरुकता शिविरों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों के आयोजन सहित - खाग्रा आयोग द्वारा किए जाएँगे। खाग्रा आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि योजना के अंतर्गत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए कुल आंवटन का न्यूनतम 25% राशि माँग और कार्यान्वयन के विस्तार को ध्यान में रखते हुए सहभागी राज्यों के जिला उद्योग केंद्रों के लिए उपयुक्त रीति से आरक्षित और आवंटित किया जाए। जिला उद्योग केंद्रों को राशि तभी जारी की जाएगी जब राज्य सरकारों से इस आशय का वचनपत्र प्राप्त हो जाए कि पूर्व प्रधानमंत्री रोजगार योजना

के अंतर्गत प्रशिक्षण और प्रेरणात्मक अभियानों के लिए पहले उपलब्ध कराई जा चुकी निधियों का पूरा उपयोग जिला उद्योग केंद्रों द्वारा किया जा चुका है। पूर्व प्रधान मंत्री रोजगार योजना की, प्रशिक्षण व आकस्मिक व्यय के अंतर्गत व्यय न की गई शेष बची उपलब्ध राशि का उपयोग प्रमंरोसृका के अंतर्गत प्रशिक्षण और अन्य संगत व्ययों के लिए किया जाएगा। इस संबंध में जिला उद्योग केंद्र, खाग्रा आयोग को मासिक उपयोगिता प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(घ) जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / कलक्टर की अध्यक्षता में कार्य दल की तिमाही बैठक, जिला स्तर पर बैंकरों के साथ आयोजित की जाएगी, जिसमें परियोजना-प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। किसी परियोजना को अस्वीकार करने की स्थिति में, संबंधित बैंक संबंधित कार्यान्वयी अभिकरण को कमियों / कारणों से अवगत कराएगा और खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र द्वारा संबंधित आवेदक से, आवश्यक होने पर अतिरिक्त जानकारी / दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा और खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र के संबंधित प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में आयोग को सहयोग देंगे। चूँकि बैंक का प्रतिनिधि भी कार्य दल का एक सदस्य होगा, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि कार्य दल द्वारा अनुमोदित की गई अधिकतम परियोजनाएँ बैंकों द्वारा मंजूर की जाएँ। जिला कार्य दल का अध्यक्ष तिमाही समीक्षा बैठकों में बैंकों के कार्यनिष्पादन और ऋण की चुकौती / वसूली की स्थिति की समीक्षा करेगा।

(ड.) प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर बैंक, ऋण के बारे में अपना निर्णय लेंगे। कार्य दल द्वारा पारित रु.5 लाख तक के ऋण वाली परियोजनाओं के मामले में बैंक, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देश के अनुसरण में संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं देंगे। तथापि, वे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना सुनिश्चित करने के बाद परियोजनाओं का मूल्यनिरूपण तकनीकी और आर्थिक - दोनो दृष्टियों से करेंगे :

(i) उद्योग,

(ii) प्रतिव्यक्ति निवेश,

(iii) अपना अंशदान,

(iv) ग्रामीण क्षेत्र (खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्रों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के मामले में), और

(v) निषिद्ध सूची (मार्गनिर्देश का परिच्छेद 29)।

यह अनिवार्य है कि जिला कार्य दल द्वारा पारित आवेदन पत्र उसी स्तर पर इन अपेक्षाओं का पालन करें, ताकि बैंकों से ऋण का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब से बचा जा सके।

(च) जैसे ही खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र या बैंक में कोई परियोजना-प्रस्ताव प्राप्त होता है, इस प्रस्ताव से संबंधित सभी विवरण खाग्रा आयोग / राज्य खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र के राज्य कार्यालय द्वारा

जिला स्तर पर प्रत्येक लाभार्थी को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यूनिट रजिस्ट्रेशन नंबर) देते हुए वेब-आधारित आवेदनपत्र ट्रैकिंग प्रणाली में डाल देना है ताकि उद्यमी किसी भी समय अपने आवेदनपत्र की अद्यतन स्थिति की जानकरी प्राप्त कर सकें। जब तक ई-ट्रैकिंग प्रणाली पूर्ण परिचालन (जिसके लिए खाग्रा आयोग सभी संबंधितों को अलग से विस्तृत मार्गनिर्देश जारी करेगा) में न आ जाए, जब तक प्रत्येक आवेदन पत्र की प्रगति विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों द्वारा ली गई सहायता (श्रेणी-वार), रोजगार के विवरण आदि के अलग-अलग आँकड़े खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्डों / जिला उद्योग केंद्रों द्वारा रखे जाएँगे और उनका हर महीने खाग्रा आयोग में निदेशक (प्रमंरोसृका) के साथ मिलान किया जाएगा। इस प्रकार किए जाने वाले मिलान की स्थिति की समीक्षा कार्य दल की बैठकों में जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / कलेक्टर द्वारा और खाग्रा आयोग में की जाने वाली समीक्षा बैठकों में आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(छ) परियोजना के मंजूर हो जाने पर **बैंक वित्त की पहली किस्त जारी होने के पहले, बैंक यथास्थिति खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / राज्य के जिला उद्योग केंद्र को लाभार्थी के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण (मार्गनिर्देश का परिच्छेद 12 (i) देखें) की व्यवस्था करने के लिए सूचित करेगा यदि उसने पहले ही प्रशिक्षण नहीं लिया हो।** यदि लाभार्थी ने, खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / राज्य के जिला उद्योग केंद्र के प्रशिक्षण केंद्र या सूलमउ मंत्रालय से मान्यता प्राप्त या उसके प्रशासनिक नियंत्रण में चलने वाले या किसी अन्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्र में न्यूनतम 2 सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उसे आगे उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ज) ऋण की पहली किस्त लाभार्थी के कम से कम दो सप्ताह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही जारी की जाएगी, (मार्गनिर्देश का परिच्छेद 12 देखें) जिसकी रूपरेखा विशेष रूप से इसी प्रयोजन से तैयार की गई है और जिसका आयोजन खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र या सूलमउ मंत्रालय से मान्यता प्राप्त या उसके प्रशासनिक नियंत्रण में चलने वाले या किसी अन्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाएगा। जो लाभार्थी पहले ही किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण ले चुके होंगे, उन्हें आगे उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेना जरूरी नहीं होगा।

(झ) खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / राज्य जिला उद्योग केंद्र द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद **लाभार्थी, बैंक के पास स्वयं का अंशदान** जमा करेगा। उसके बाद बैंक लाभार्थी को बैंक वित्त की पहली किस्त जारी करेगा।

(ञ) यदि उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण पूरा नहीं होता, तो मंजूर की गई परियोजना को मार्जिन राशि (सब्सिडी) के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

(ट) बैंक वित्त के अंशतः या पूर्णतः जारी किए जाने के बाद बैंक राज्य / क्षेत्र की नामनिर्दिष्ट नोडल शाखा के पास निर्धारित फार्मेट में मार्जिन राशि (सब्सिडी) का दावा प्रस्तुत करेगा, जहाँ खाग्रा आयोग ने पहले से ही खाग्रा आयोग के नाम से बचत खाते में मार्जिन राशि (सब्सिडी) जारी करने के लिए एकमुश्त पैसा जमा किया होगा। क्षेग्रा बैंक की शाखाओं द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में क्षेग्रा बैंकों की वित्तपोषक शाखाओं को मार्जिन राशि (सब्सिडी) के दावे को अपने प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जो अपने प्रायोजक बैंक की नोडल शाखा के पास समेकित दावा प्रस्तुत करेगा। सिडबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में, ऋण / मार्जिन राशि (सब्सिडी) जारी करने के बारे में सिडबी द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देश का पालन किया जाएगा। हालाँकि मार्जिन राशि (सब्सिडी) बैंक की नामनिर्दिष्ट शाखा द्वारा जारी की जाएगी। परियोजना / दावे को, योजना के मानदंडों के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम प्राधिकार खाग्रा आयोग / **खा.ग्रा.मंडल/**राज्य जिला उद्योग केंद्र के पास होगा। खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र अस्वीकृति के विस्तृत आधार मेनटेन करेंगे। खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र द्वारा शिकायतों या आरोपों की पावती की एक अलग प्रणाली स्थापित की जाएगी और प्राप्त शिकायतों / आरोपों और उनकी स्थिति / उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपायों के विवरण के साथ एक मासिक प्रतिवेदन खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा खाग्रा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। खाग्रा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूलमउ मंत्रालय को प्रत्येक तिमाही में एक समेकित प्रतिवेदन भेजेंगे।

(ठ) ऋणकर्ता के पक्ष में मार्जिन राशि (सब्सिडी) जारी कर दिए जाने के बाद, उस राशि को शाखा के स्तर पर लाभार्थी / संस्था के नाम में तीन वर्ष की मीयादी जमा रसीद (टीडीआर) में रखा जाएगा। इस मीयादी जमा रसीद पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा और रसीद की समतुल्य ऋणराशि पर ब्याज प्रभारित भी नहीं किया जाएगा।

(ड) चूँकि 'मार्जिन राशि' (सब्सिडी) को सब्सिडी (अनुदान) के रूप में दिया जाना है, इसलिए इसे बैंक द्वारा उधारकर्ता / संस्था को प्रथम संवितरण की तारीख से तीन वर्ष के बाद उधारकर्ता के ऋण खाते में जमा कर दिया जाएगा।

(ढ)	यदि लाभार्थी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से तीन वर्ष की अवधि के पहले बैंक का अग्रिम 'अशोध्य' हो जाता है, तो बैंक द्वारा मार्जिन राशि (सब्सिडी) को उधारकर्ता की ऋण देयता को अंशतः या पूर्णतः चुकाने के लिए समायोजित कर लिया जाएगा।

(ण)	यदि बैंक द्वारा बाद में किसी भी स्त्रोत से कोई वसूली की जाती है, तो उस वसूली का उपयोग सबसे पहले बैंक द्वारा उनके बकाया देयों को चुकाने में किया जाएगा. यदि कोई अधिशेष होगा, तो उसे खाग्रा आयोग को प्रेषित किया जाएगा. मार्जिन राशि (सब्सिडी) सरकार की 'एक बार की सहायता' होगी। ऋणसीमा मे वृद्धि या परियोजना के विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए मार्जिन राशि (सब्सिडी) सहायता उपलब्ध नहीं है।

(त)	मार्जिन राशि (सब्सिडी) सहायता केवल प्रमंरोसृका के अंतर्गत विशेष रूप से मंजूर की गई नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। विद्यमान इकाइयाँ योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं।

(थ)	संयुक्त रूप से यानी दो विभिन्न स्त्रोतों (बैंकों / वित्तीय संस्थाओं) से वित्तपोषित परियोजनाएँ मार्जिन राशि (सब्सिडी) सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

(द)	बैंक वित्त जारी करने से पहले बैंक को लाभार्थी से इस आशय का वचनपत्र लेना होगा कि खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / राज्य के जिला उद्योग केंद्र द्वारा आपत्ति किए जाने की स्थिति में (जिसे अभिलिखित और लिखित रूप में संप्रेषित किया जाएगा), टीडीआर में रखी गई या तीन वर्ष की अवधि के बाद जारी की गई मार्जिन राशि (सब्सिडी) को लाभार्थी वापस लौटा देगा।

(ध)	बैंक / खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक लाभार्थी अपने परियोजना-स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर यह साइन बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा :-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित ....(इकाई का नाम) वित्तपोषक.................................(बैंक), जिले का नाम

(न) बैंक की वित्तपोषक शाखा, मार्जिन राशि (सब्सिडी) का दावा नामनिर्दिष्ट नोडल शाखा के पास यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

12. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

12.1 उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य वित्त, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबंधन, बैंकिंग औपचारिकताएँ, एकाउंटिंग जैसी विभिन्न प्रबंधकीय और कार्यपूरक कुशलताओं की जानकारी प्रदान करना है। ग्रारोसृका के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम की अवधि केवल 3 दिनों की थी। प्रमंरो योजना के अंतर्गत यह अवधि 10 दिनों की थी। विभिन्न बैठकों, परिचर्चाओं और उद्योग पर विभाग से संबंधित स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों में यह महसूस किया गया कि ये सब जानकारियाँ प्रभावी रूप से देने के लिए 3 दिनों की अवधि पर्याप्त नहीं है, इसलिए प्रमंरोसृका के अंतर्गत इसे दो से तीन सप्ताह तक का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें सफल ग्रामीण उद्यमियों और बैंकों के साथ परस्पर संवाद के साथ-साथ उनका दौरा भी शामिल है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का संचालन खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्डों के प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ केंद्र सरकार, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, तीन राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों अर्थात् एनआईईएसबीयूडी, एनआईएमएसएमई और आईआईई तथा सूलमउ मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चलने वाले उनके सहभागी संस्थानों, बैंकों, ग्रामीण विकास एंव स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों (रूडसेटी), प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों और सरकार द्वारा समय-समय पर चुने गए संगठनों / संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। प्रमंरोसृका के सभी लाभार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। तथापि, जो लाभार्थी खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्डों या प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम दो सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण ले चुके होंगे, उन्हें इस प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी। प्रशिक्षण केंद्रों / संस्थानों का चयन खाग्रा आयोग और खाग्रा बोर्डों द्वारा किया जाएगा और प्रशिक्षण केंद्रों / संस्थानों, उपलब्ध पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु, अवधि आदि का विवरण कार्यान्वयी अभिकरणों में परिचालित कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

12.2 प्रशिक्षण केंद्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रभारों हेतु बजट व्यवस्था

योजना के अंतर्गत पठन-सामग्री, अतिथि वक्ताओं को मानदेय, खाने-रहने के खर्च आदि के लिए प्रति प्रशिक्षु दो से तीन सप्ताह के लिए रु.2500 से रु.4000 तक की राशि स्वीकार्य होगी। खाग्रा आयोग इस प्रयोजन के लिए चुने गए प्रशिक्षण केंद्रों / संस्थानों को, इसके लिए अलग से तैयार की जाने वाली और खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के बीच परिचालित की जाने वाली कार्यविधि के अनुसार, व्ययों के प्रतिपूर्ति करेगा।

13. प्रमंरोसृका इकाइयों का भौतिक सत्यापन

खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा स्थापित इकाइयों सहित प्रमंरोसृका के अंतर्गत प्रत्येक इकाई की वास्तविक स्थापना और कामकाज की स्थिति का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन, खाग्रा आयोग द्वारा राज्य सरकार के अभिकरणों और / या आवश्यकतानुसार, इस क्षेत्र की विशेष जानकारी रखने वाले बाहरी व्यावसायिक संस्थानों

को यह कार्य सौंप कर भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कराया जाएगा। बैंक, खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र 100% भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने में खाग्रा आयोग के साथ समन्वय करेंगे और उसे सहयोग देंगे। इकाइयों के भौतिक सत्यापन के लिए खाग्रा आयोग एक उपयुक्त प्रोफार्मा तैयार करेगा। खाग्रा आयोग निर्धारित फार्मेट में सूलमउ मंत्रालय को तिमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

14. जागरुकता शिविर

14.1 प्रमंरोसृका को लोकप्रिय बनाने और ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों के संभावित लाभार्थियों को योजना के बारे में शिक्षित करने के लिए खाग्रा आयोग और जिला उद्योग केंद्र, एक-दूसरे के साथ और खाग्रा बोर्ड के निकट समन्वय से देश भर में जागरुकता शिविरों का आयोजन करेंगे। जागरुकता शिविरों में बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं को, विशेष श्रेणी के तबकों अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, शारीरिक विकलांग, पूर्व-सैनिक, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला आदि के सदस्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, शामिल किया जाएगा। खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्डों / जिला उद्योग केंद्रों द्वारा राज्य स्तरीय संगठनों, जैसे अजा / अजजा निगमों, आर्मी वाइव्ज वेलफेयर एसोसियेशन, नेहरू युवा केंद्र संगठन, प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों और नियोजनालयों से अपेक्षित सूचना / ब्यौरे प्राप्त किए जाएँगे। प्रत्येक जिले में ऐसे दो शिविरों के आयोजन की अनुमति होगी, जिनमें से एक खाग्रा आयोग द्वारा संबंधित खाग्रा बोर्ड के समन्वय से और दूसरा जिला उद्योग केंद्र द्वारा आयोजित किया जाएगा। खाग्रा आयोग और जिला उद्योग केंद्र को अधिमानतः किसी विशेष जिले में इन शिविरों को संयुक्त रूप से आयोजित करने पर विचार करना चाहिए। एक समिति, जिसमें अग्रणी बैंक, खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि और बहु-उद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य होंगे, लाभार्थियों का चयन करेगी और उन्हें उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। उन्हें परियोजना तैयार करने के लिए आरआईसीएस के पास और परियोजना की मंजूरी के लिए बैंकों के पास भी भेजा जाएगा। निर्दिष्ट राशि, शिविरों के आयोजन के प्रचार-प्रसार, व्यवस्था और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए होगी जिनके बारे में खाग्रा आयोग अलग से मार्गनिर्देश जारी करेगा।

14.2 जागरुकता शिविरों में की जाने वाली अनिवार्य गतिविधियाँ

(i) बैनरों, पोस्टरों, होर्डिंगों और स्थानीय अखबारों में प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार।

(ii) खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड/ जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण।

(iii) क्षेत्र के अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुतीकरण।

(iv) प्रमंरोसृका/ ग्रारोसृका के सफल उद्यमियों द्वारा प्रस्तुतीकरण।

(v) जिन प्रमंरोसृका उद्यमियों की परियोजनाएँ मंजूर हुई हैं, उन्हें मंजूरी पत्र का वितरण।

(vi) प्रेस सम्मेलन।

(vii) संभावित लाभार्थियों से (निर्धारित फार्मेट में) आँकड़ों का संग्रह जिनमें लाभार्थी के प्रोफाइल, उसके कौशल, उसकी पृष्ठभूमि और योग्यता, अनुभव, रुचि की परियोजना, आदि का विवरण होगा। प्रशिक्षण (जैसा कि मार्गनिर्देश के परिच्छेद 12 में उल्लेखित है) के लिए एक समिति, जिसमें अग्रणी बैंक, खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि और बहु-उद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य होंगे, लाभार्थियों का चयन करेगी और उन्हें उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। उन्हें परियोजना तैयार करने के लिए आरआईसीएस के पास और परियोजना की मंजूरी के लिए बैंकों के पास भी भेजा जाएगा।

(viii) प्रमंरोसृका के अंतर्गत विचारार्थ खाग्रा आयोग द्वारा तैयार की गई कुछ परियोजनाओं का एक संग्रह आयोग/ मंत्रालय द्वारा कुछ प्रमुख राज्यों के उद्योग सचिवों और भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, युनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित कुछ प्रमुख बैंकों को भेजा गया है। इस संग्रह में कुछ और परियोजनाओं को शामिल करने के लिए खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र परियोजनाओं के विवरण आयोग को प्रेषित करेंगे। आयोग बैक्वर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण के लिए किए गए प्रावधानों का उपयोग करते हुए बैंकों, खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र के परामर्श से यथासमय उन्हें संग्रह में शामिल करेगा।

(ix) विपणन सहायता

(क) जहाँ तक संभव होगा, खाग्रा आयोग के बिक्री केंद्रों के माध्यम से प्रमंरोसृका के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के उत्पादों को विपणन सहायता दी जाएगी। खाग्रा आयोग के पास, गुणवत्ता, कीमत निर्धारण और अन्य मानदंडों के आधार पर, जिन्हें खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों को आयोग द्वारा अलग से परिपत्रित किया जाएगा, ऐसी सहायता देने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(ख) उक्त के अलावा खाग्रा आयोग द्वारा प्रमंरोसृ कार्यक्रम के लाभार्थियों के फायदे के लिए जिला/ राज्य, अंचल/ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं का आयोजन और क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किए जाएँगे।

15. कार्यशालाएँ

क) उद्देश्य

(i) प्रमंरोसृका और खाग्रा आयोग के अन्य कार्यक्रमों, जैसे प्रोडिप, स्फूर्ति आदि के लाभों के बारे में संभावित लाभार्थियों को जानकारी देना।

(ii) प्रमंरोसृका इकाइयों का एक आँकड़ा-आधार तैयार करना जिसमें तैयार किए जाने वाले उत्पादों, सेवा/ व्यवसाय कार्य के विवरण, आपूर्ति क्षमता, वर्तमान विपणन ढाँचे, रोजगार, परियोजना लागत आदि से संबंधित विवरण होंगे।

(iii) प्रमंरोसृका के उद्यमियों से संवाद स्थापित करना ताकि उनसे इकाइयों, उनकी समस्याओं, अपेक्षित सहायता, सफलता के दृष्टांतों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।

(iv) प्रमंरोसृका इकाइयों के सहयोग के लिए विपणन और निर्यात क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शमिल करना।

टिप्पणी

(1) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यशाला में कम से कम 200 संभावित उद्यमी भाग लें।

(2) खाग्रा आयोग के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला और जिला उद्योग केंद्र के लिए एक कार्यशाला की अनुमति है।

(3) किसी राज्य-विशेष में खाग्रा आयोग और जिला उद्योग केंद्र संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन करने पर विचार कर सकते हैं।

(4) प्रत्येक कार्यशाला में खाग्रा आयोग / **राज्य खा.ग्रा.मंडल** और जिला उद्योग केंद्र का एक प्रतिनिधि भाग ले सकता है।

ख) राज्य स्तरीय कार्यशाला में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल की जानी चाहिए :

i. राज्य में प्रमंरोसृका के परिदृश्य की प्रस्तुति।

ii. राज्य के अग्रणी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रमंरोसृका के बारे में बैंकों के मंतव्य पर प्रस्तुति।

iii. विशेष श्रेणी के उद्यमियों पर विशेष बल देते हुए प्रमंरोसृका/ ग्रारोसृका के उद्यमियों के अनुभवों और सफलता के दृष्टांतों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान।

iv. खाग्रा आयोग की अन्य समर्थनकारी योजनाओं, जैसे उत्पाद विकास, डिजाइन सहयोग और पैकेजिंग (प्रोडिप), ग्रामीण औद्योगिक सेवा केंद्र (आरआईएससी), परंपरागत उद्योगों के पुनःसृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी), प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए ऋण-सहबद्ध पूँजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएसएमई), आदि के बारे में संक्षेप में जानकारी देना।

v. नाबार्ड और सिडबी द्वारा क्लस्टर और विपणन से जुड़ी सहायता योजनाओं के बारे में संक्षेप में जानकारी देना।

vi. प्रमंरोसृका में ग्रामीण युवाओं, कमजोर तबकों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, पूर्व सैनिकों, शारीरिक विकलांगों, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को शामिल करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन, महिला और बाल विकास मंत्रालय, आर्मी वाइव्ज् वेलफेयर एसोसियेशन की सेवाओं का उपयोग करना।

vii. विपणन विशेषज्ञों द्वारा घरेलू और निर्यात बाजार संभावनाओं पर प्रस्तुति।

viii. प्रमंरोसृका उद्यमियों के साथ कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों, सामने आ रही कठिनाइयों, आगे अपेक्षित सहयोगों आदि पर खुली परिचर्चा और संभव समाधानों पर पहुँचना।

ix. निर्धारित फार्मेट में प्रमंरोसृका उद्यमियों से संबंधित आँकड़ों का संकलन।

x. प्रमंरोसृका उत्पादों की प्रदर्शनी-सह-बिक्री की व्यवस्था।

xi. प्रमंरोसृका संघ का गठन।

xii. प्रेस सम्मेलन।

(ग) खाग्रा आयोग इन कार्यशालाओं का समन्वय करेगा और कार्यशालाओं के वार्षिक कैलेण्डर को मंत्रालय से पहले ही अनुमोदित करा लेगा।

16. प्रदर्शनियाँ

प्रमंरोसृका के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खाग्रा आयोग द्वारा राष्ट्रीय, आंचलिक, राज्य और जिला स्तरों पर प्रमंरोसृका प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, और पूर्वोत्तर अंचल के लिए विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के समन्वय से किया जाएगा। खाग्रा आयोग देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों का वार्षिक कैलेण्डर मंत्रालय से पहले ही अनुमोदित करा लेगा। खाग्रा बोर्डों/ जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से स्थापित इकाइयों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए अलग पैविलियन उपलब्ध कराया जाएगा। खाग्रा आयोग/ खाग्रा बोर्डों/ जिला उद्योग केंद्रों द्वारा ग्रामीण और शहरी उद्यमियों के लिए अलग-अलग लोगो और नाम रखा जाएगा, जैसे ग्रामएक्स्पो, ग्राम उत्सव, ग्राम मेला आदि। खाग्रा आयोग प्रति वर्ष खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के समन्वय से एक जिला स्तरीय (प्रत्येक जिले में), एक राज्य स्तरीय और एक अंचल स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित करेगा।

17. अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता

निर्यात बाजार विकसित करने की दृष्टि से ऐसी परिकल्पना है कि प्रमंरोसृका इकाइयाँ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता करेंगी। खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के समन्वय से खाग्रा आयोग अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता का आयोजन करेगा और खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों से इच्छुक इकाइयों की सूची मँगवाएगा। खाग्रा आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से स्थापित इच्छुक इकाइयों पर उत्पादों के उत्कृष्टता, विविधता और गुणवत्ता के आधार पर न्यायपूर्ण विचार किया जाए। पैविलियन के किराये, स्टाल लगाने और उत्पादों को प्रदर्शित करने आदि पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रु.20 लाख तक की जाएगी। खाग्रा आयोग शेष व्यय अपने नियमित विपणन बजट प्रावधानों से कर सकता है।

18. बैंकर समीक्षा बैठक

प्रमंरोसृका एक बैंक-संचालित योजना है और संबंधित बैंक के स्तर पर ही परियोजनाओं की मंजूरी और ऋण का संवितरण किया जाता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्र नियमित रूप से जिला/ राज्य/ राष्ट्रीय स्तर पर, उच्चतर बैंक अधिकारियों से चर्चा करते रहें ताकि यह यह सुनिश्चित किया

जा सके कि यदि कार्यान्वयन में कोई बाधा हो तो उसे दूर किया जाए, प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जाएँ, लक्ष्य प्राप्त किए जाएँ। बैंकर समीक्षा बैठकें निम्नलिखित स्तरों पर निम्नानुसार आयोजित की जाएँ:

(i) **अग्रणी जिला प्रबंधक बैठकः** इस बैठक का आयोजन खाग्रा आयोग के राज्य कार्यालय और प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र के साथ संयुत्त रूप से किया जाएगा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अग्रणी जिला प्रबंधक स्तर पर बैंक अधिकारियों को प्रमंरोसृ कार्यक्रम के बारे जानकारी देना और शिक्षित करना और साथ ही योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और समीक्षा करना होगा। यह बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएगी।

(ii) **आंचलिक समीक्षा बैठक** : प्रमंरोसृका की समीक्षा और निगरानी के लिए खाग्रा आयोग 6 अंचलों में आंचलिक समीक्षा बैठक करेगा जिनमें खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के प्रतिनिधि समीक्षा में भाग लेंगे। संबंधित बैंक अधिकारी भी आमंत्रित किए जाएँगे।

(iii) **शीर्ष स्तरीय बैंकर बैठकः** खाग्रा आयोग प्रत्येक छमाही में (जून और दिसंबर में) शीर्ष स्तरीय बैंकर बैठक आयोजित करेगा ताकि वित्तीय वर्ष के आरंभ में और अंत होने के थोड़ा पहले समुचित निगरानी की जा सके। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक / वरिष्ठ कार्यपालक, सूलमउ मंत्रालय, राज्य खाग्रा बोर्डो और जिला उद्योग केंद्रों के प्रतिनिधि राष्ट्र स्तरीय बैंकर बैठक में भाग लेंगे जिसकी अध्यक्षता खाग्रा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। दो समूहों में सभी राज्य और संघशासित क्षेत्र आमंत्रित किए जाएँगे और खाग्रा आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि इन छमाही समीक्षा बैठकों में से प्रत्येक में लगभग आधे राज्यों/संशासित क्षेत्रों के खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के प्रतिनिधि सहभागी हों। बैठक में लक्ष्यों की समीक्षा और प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से संबंधित नीतिगत निर्णयों से जुड़े मुद्दों की जाँच की जाएगी।

19. प्रमंरोसृका के अंतर्गत उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण

खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और संबंधित अभिकरणों के स्टाफ और अधिकारियों को कार्यक्रम के परिचालनात्मक तौर-तरीकों की जानकारी देनी होगी। यह कार्य खाग्रा बोर्डों के साथ मिलकर खाग्रा आयोग द्वारा, और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा देश भर में राज्य / जिला स्तर पर एक-दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन कर किया जा सकता है। खाग्रा आयोग और जिला उद्योग केंद्र, जहाँ भी संभव हो, संयुक्त रूप से ये कार्यशालाएँ आयोजित कर सकते हैं, जिसके बारे में खाग्रा आयोग द्वारा अलग से मार्गनिर्देश जारी किए जाएँगे।

20. स्टाफ और अधिकारियों का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता

खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड, और जिला उद्योग केंद्र प्रमंरोसृका से संबंधित कार्यें के लिए अपेक्षित दौरे और निगरानी कार्य करेंगे। प्रमंरोसृका की निगरानी और समीक्षा हेतु स्टाफ और अधिकारियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए प्रतिवर्ष रु.1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें लेखन सामग्री, प्रलेखीकरण, आकस्मिक व्यय जैसे प्रशासनिक व्यय शामिल हैं। इस राशि का लगभग 40% भाग जिला उद्योग केंद्रों के लिए चिह्नित किया जा सकता है इस सहायता के इष्टतम उपयोग और किफायतसारी के लिए खाग्रा आयोग अलग से मार्गनिर्देश जारी करेगा, जिसमें व्यय के प्रमाणन के तौर-तरीकों, और फील्ड दौरों से संबंधित मानदंडों का समावेश होगा।

21. प्रचार और संबर्धन कार्य

21.1 प्रमंरोसृका को लोकप्रिय बनाने के लिए पोस्टरों, बैनरों, होर्डिंगों, रेडियो जिंगल, टेलीविज़न, संदेशों, स्थानीय अखबारों में विज्ञापनों, प्रेस सम्मेलनों आदि के जरिए जोर-शोर से प्रचार-अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए प्रमंरोसृका से संबंधित प्रमुख आयोजनों के अवसर पर अति महत्वपूर्ण और गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

21.2 प्रमंरोसृका के लिए विज्ञापन अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा के अखबारों में जारी / प्रकाशित किए जाएँगे। जिला स्तरीय कार्यक्रमों के लिए चौथाई पृष्ठ के और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के लिए आधे पृष्ठ के विज्ञापन जारी किए जाएँगे।

प्रमंरोसृका के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार और संवर्धनात्मक गतिविधियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए चार वर्ष की अवधि में रु.16 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। खाग्रा आयोग द्वारा निधियों की 25% राशि जिला उद्योग केंद्रों के लिए चिह्नित की जाएगी जो खाग्रा आयोग द्वारा, खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के साथ अधिकतम समन्वय और सहक्रियता सुनिश्चित करते हुए तैयार किए गए मार्गनिर्देश के अनुरूप विज्ञापन / प्रचार-प्रसार के लिए होगी।

22. प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) पैकेज, आवेदनपत्र ट्रैकिंग प्रणाली, ई-पोर्टल और अन्य सहायक पैकेज

22.1 योजना की प्रभावी निगरानी और समीक्षा के लिए ई-गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विद्यमान ग्रारोसृका और प्रमंरोयो लाभार्थियों के आँकड़ा-आधार का प्रलेखीकरण भी आवश्यक है। खाग्रा आयोग एक अलग प्रमंरोसृका वेबसाइट तैयार करेगा जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी देते हुए सूलमउ मंत्रालय, राज्य खाग्रा बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों, एनआईसी और बैंकों के साथ संगत लिंकेज शामिल किए जाएँगे। प्रमंरोसृका लाभार्थियों के लिए खाग्रा आयोग द्वारा आवेदनपत्र ट्रैकिंग प्रणाली की स्थापना, खाग्रा बोर्डों / जिला उद्योग केंद्रों के समन्वय से की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण औद्योगिक परामर्श सेवा के खाग्रा आयोग की परियोजना निर्माण सॉफ्टवेयर पैकेज को देश के सभी प्रशिक्षण केंद्रों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे संभावित लाभार्थियों को प्रमंरोसृका के अंतर्गत परियोजनाएँ तैयार करने में सहयोग दे सकें। इस प्रयोजन से खाग्रा आयोग के उपयोग के लिए फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज के अंतर्गत अलग से प्रावधान उपलब्ध है।

22.2 खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों से समुचित प्रलेखीकरण के माध्यम से खाग्रा आयोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए निधियों के उपयोग के संबंध में आगे मार्गनिर्देश जारी करेगा।

23. प्रमंरोसृका के अंतर्गत प्रस्तावित अनुमानित लक्ष्य

23.1 2008-09 से 2011-12 तक चार वर्षों के दौरान प्रमंरोसृका के अंतर्गत निम्नानुसार अनुमानित लक्ष्य प्रस्तावित हैं।

वर्ष	रोजगार (संख्या में)	मार्जिन राशि (सब्सिडी) (रु. करोड़)
2008-09	616667	740.00
2009-10	740000	888.00
2010-11	962000	1154.40
2011-12	1418833	1702.60
कुल	3737500	4485.00

टिप्पणी : 1. बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के लिए रु.250 करोड़ की अतिरिक्त राशि रखी गई है।

2. प्रारंभ में ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल सुनिश्चित करने की दृष्टि से खाग्रा आयोग (खाग्रा बोर्डों सहित) और जिला उद्योग केंद्रों को 60:40 के अनुपात में लक्ष्य बाँटे गए हैं। मार्जिन राशि (सब्सिडी) भी इसी अनुपात में आबंटित की जाएगी। जिला उद्योग केंद्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें आबंटित राशि का न्यूनतम 50% ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाए।

3. कार्यान्वयी अभिकरणों को राज्यवार वार्षिक लक्ष्य आबंटित किए जाएँगे।

23.2 प्रमंरोसृका के अंतर्गत लक्ष्यों के वितरण के मानदंड

लक्ष्यों के राज्यवार वितरण के सुझाए गए मानदंड मोटे तौर पर निम्नानुसार हैं :

(i) राज्य के पिछड़ेपन का स्तर;

(ii) बेरोजगारी का स्तर;

(iii) 2007-08 में प्रमंरोयो और ग्रारोसृका के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने का स्तर;

(iv) 2007-08 में प्रमंरोयो और ग्रारोसृका के अंतर्गत ऋणों की वसूली का स्तर;

(v) राज्य / संघशासित क्षेत्र की जनसंख्या; और

(vi) परंपरागत कौशल और कच्चे माल की उपलब्धता।

23.3 खाग्रा आयोग राज्य खाग्रा आयोग निदेशालयों / खाग्रा बोर्डों और राज्य सरकारों को लक्ष्य सौंपेगा। जिला स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति लक्ष्य तय करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक जिले में लक्ष्यों का समान वितरण हो। खाग्रा आयोग द्वारा खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्डों को दिए गए राज्यवार लक्ष्यों से राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति को अवगत कराया जाएगा जहाँ जिलावार लक्ष्यों के समग्र आवंटन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। लक्ष्यों में कोई आशोधन, जिसके लिए खाग्रा आयोग प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होगा, मंत्रालय की सहमति से ही किया जा सकेगा। खाग्रा आयोग राज्य सरकार के परामर्श से नोडल बैंक-शाखाओं का चयन करेगा और ग्रामीण तथा शहरी- दोनो क्षेत्रों के लिए उन चुनी हुई शाखाओं में मार्जिन राशि (सब्सिडी) रखेगा। खाग्रा आयोग निदेशालयों/ खाग्रा बोर्डों को सब्सिडी और अन्य मानदंडों (इकाइयों की संख्या, रोजगार के अवसर आदि) के अधीन लक्ष्य सौंपने के लिए खाग्रा आयोग, नीचे दिए गए भारांकों के अनुसार लक्ष्य निर्धारण हेतु राज्य की ग्रामीण

आबादी, राज्य के पिछड़ेपन (योजना आयोग द्वारा पहचाने गए 250 पिछड़े जिलों के आधार पर) और ग्रारोसृका के अंतर्गत राज्य के पूर्व कार्यनिष्पादन को मानदंड बनाएगा। इसी प्रकार जिला उद्योग केंद्रों को लक्ष्य सौंपने के लिए खाग्रा आयोग राज्य के पिछड़ेपन (योजना आयोग द्वारा पहचाने गए 250 पिछड़े जिलों के आधार पर), शहरी बेरोजगारी के स्तर ('प्रतिवर्ष 10 मिलियन रोजगार-अवसर को लक्ष्य बनाने पर विशेष समूह ' से संबंधित योजना आयोग की 2002 के प्रतिवेदन में यथानिर्दिष्ट), और राज्य की ग्रामीण आबादी के मानदंड अपनाएगा। दूसरे वर्ष से यानी 2009-10 से पिछले वर्ष के प्रमंरोसृका कार्यनिष्पादन को भी लक्ष्य निर्धारण हेतु समुचित भारांक दिया जाएगा। कार्यान्वयी अभिकरणों के लिए लक्ष्य निर्धारण हेतु मोटे तौर पर जो भारांक दिए जाएँगे, वे निम्नानुसार हैं -

मानदंड	**लक्ष्य निर्धारण हेतु भारांक**	
	खा.ग्रा.आयोग/ खा.ग्रा.बोर्ड	**जिला उद्योग केन्द्र**
1. राज्य की ग्रामीण आबादी	40%	30%
2. राज्य का पिछड़ापन	30%	40%
3. शहरी बेरोजगारी का स्तर	---	30%
4. ग्रारोसृका पूर्व कार्यनिष्पादन	30%	---

24. बीमार इकाइयों का पुनर्वास

प्रमंरोसृका के अंतर्गत बीमार इकाइयों के पुनर्वास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, बीमार लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी दिनांक 16 जनवरी 2002 के उनके पत्र आरपीसीडी सं. पीएलएनएफएस. बीसी. 57 / 06.04.01 / 2001-02 को आधार बनाया जाएगा।

25. पंजीकरण

योजना के अंतर्गत खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / राज्य जिला उद्योग केंद्र के साथ पंजीकरण स्वैच्छिक है। लाभार्थियों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा और फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज के अंतर्गत उपलब्ध निधि का उपयोग प्रलेखीकरण लागत आदि के व्यय को पूरा करने में किया जाएगा।

लाभार्थी उत्पादन, बिक्री, रोजगार, भुगतान की मजदूरी आदि के बारे में खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / राज्य जिला उद्योग केंद्र को तिमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और खाग्रा आयोग उनका विश्लेषण करेगा और प्रत्येक छमाही में एक समेकित प्रतिवेदन सूलमउ मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

26. प्रमंरोसृका के कार्यान्वय में निजी क्षेत्र के बैंकों (अनुसूचित, वाणिज्य / सहकारी) की भूमिका

योजना चयनित आधार निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों / सहकारी बैंकों के माध्यम से भी, इच्छुक बैंक के पिछले तीन वर्षों के तुलन पत्रों के सत्यापन और उनके ऋण संविभाग की प्रमात्रा की पुष्टि के बाद, कार्यान्वित की

जाएगी। मार्जिन राशि (सब्सिडी) वाला हिस्सा खाग्रा आयोग द्वारा वास्तविक प्रतिपूर्ति के आधार पर बैंकों को अदा की जाएगी।

27. प्रमंरोसृका की निगरानी और मूल्यांकन

27.1 सूलमउ मंत्रालय की भूमिका

योजना के कार्यान्वयन के लिए सूलमउ मंत्रालय नियंत्रक और निगरानी अभिकरण होगा। वह लक्ष्य आबंटित करेगा, और खाग्रा आयोग को अपेक्षित निधि की मंजूरी देगा और उसे जारी करेगा। मंत्रालय में प्रमंरोसृका के कार्यनिष्पादन के बारे में तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएँगी। खाग्रा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्यों में जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रधान सचिव / आयुक्त (उद्योग), राज्य खाग्रा बोर्डों के प्रतिनिधि और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में सहभागिता करेंगे।

27.2 खाग्रा आयोग की भूमिका

खाग्रा आयोग राष्ट्रीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए एकमात्र नोडल अभिकरण होगा. खाग्रा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रति माह राज्य खाग्रा बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों और बैंकों के साथ कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेंगे और मंत्रालय को मासिक कार्यनिष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवेदन में लाभार्थियों का घटक-वार विवरण दिया जाएगा जिसमें मार्जिन राशि (राशि), सृजित रोजगार और स्थापित परियोजनाओं का ब्यौरा होगा। खाग्रा आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला आदि के लिए अनुमोदित उप-घटक योजना के अनुसार मार्जिन राशि (सब्सिडी) का उपयोग किया जाए। लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी अंचल, राज्य और जिला स्तरों पर भी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाग्रा आयोग के निदेशकों और संबंधित राज्यों के आयुक्त / सचिव (उद्योग) द्वारा की जाएगी, विद्यमान ग्रारोसृका इकाइयों की निगरानी खाग्रा आयोग द्वारा ही की जाएगी, जैसा कि अब तक होता रहा है, और अलग मासिक प्रतिवेदन सीधे सूलमउ मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

27.3 राज्य सरकारों / संघशासित क्षेत्रों की भूमिका

राज्य के मुख्य सचिव योजना की छमाही समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में खाग्रा आयोग के प्रतिनिधि, सूलमउ मंत्रालय के प्रतिनिधि, राज्य निदेशालय (खाग्रा आयोग), खाग्रा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य के सचिव / आयुक्त (उद्योग), बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी भाग लेंगे। राज्य सरकारें {सचिव/ आयुक्त (उद्योग)} अपने मासिक प्रतिवेदन खाग्रा आयोग को प्रेषित करेंगी, जिसमें लाभार्थियों का घटक-वार विवरण होगा। इस विवरण में आबंटित मार्जिन राशि (सब्सिडी), सृजित रोजगार और स्थापित परियोजनाओं का विवरण होगा। खाग्रा आयोग प्रतिवेदन का विश्लेषण, संकलन और समेकन करेगा और एक समग्र रिपोर्ट प्रतिमाह मंत्रालय को प्रेषित करेगा। प्रमंरोयो की विद्यमान इकाइयों की निगरानी राज्य जिला उद्योग केंद्रों द्वारा अब तक की ही तरह किया जाता रहेगा, जिसके संबंध में प्रतिवेदन सीधे सूलमउ मंत्रालय को भेजा जाएगा।

28. योजना का मूल्यांकन

कार्यान्वयन के दो वर्षों के बाद योजना का एक समग्र, स्वतंत्र और कड़ा मूल्यांकन कराया जाएगा. मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर योजना की समीक्षा की जाएगी।

29. **निषिद्ध कार्यों की सूची**

सूक्ष्म उद्यमों/ परियोजनाओं/ इकाइयों की स्थापना के लिए प्रमंरोसृका के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

क) मीट (स्लॉटर किया हुआ) से जुड़े उद्योग/ रोजगार अर्थात् मीट का प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी या माँसाहारी खाद्यपदार्थ सर्व करना। बीड़ी, पान, सिगार, सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री; कोई ऐसा होटल या ढाबा जहाँ शराब या माँसाहारी भोजन सर्व किया जाता हो; कच्चे माल के रूप में तंबाकू का प्रयोग; ताड़ी चुलाना और बेचना।

ख) चाय, कॉफी, रबर आदि के बागान सहित फसलों की खेती से जुड़े उद्योग/ कार्य; रेशमपालन (ककूनपालन); बागवानी; हार्वेस्टर सहित पुष्पोद्यानिकी; मत्स्यपालन, शूकरपालन, मुर्गीपालन जैसे पशुपालन कार्य।

ग) 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथिन की थैलियों का विनिर्माण और पुनःचक्रीकृत प्लास्टिक से बने थैले या कन्टेनर या कोई ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है।

घ) पशिमना ऊन के प्रसंस्करण और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों जैसे हाथ से बुनाई और कताई, आदि उद्योग खादी कार्यक्रम प्रमाणन नियमों के तहत और उपलब्ध बिक्री छूट की सहायता से लाभ ले रही हैं।

ङ) ग्रामीण परिवहन (अंडमान और निकोबार में ऑटो रिक्शा, जम्मू और कश्मीर में हाउस बोट, शिकारा और पर्यटक नौका और साईकिल रिक्शा को छोड़कर)।

आवेदक पहचान सं. (कार्यालय प्रयोगार्थ)

<u>प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रमंरोसृका के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र</u>

बैंक को परियोजना के प्रायोजक अभिकरण के लिए अधिमानता : (निशान लगाएँ ✓)

खाग्राआ		खाग्राबो		जिउकें	ग्रामीण		शहरी	

सेवा में

खानों में बड़े अक्षरों में विवरण भरें.

फोटो

१. आवेदक/ संस्था का नाम

२. जन्म तिथि

तिथि	तिथि	माह	माह	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष

३. लिंग

पुरूष		महिला	

४. पिता का नाम/ पत्नी या पति का नाम/ संपर्क व्यक्ति का नाम (संस्था के मामले में):

५. पत्राचार का पताः

तालुका/ब्लॉकः

जिलाः

ई-मेलः		संपर्क हेतु फोन नं.	

६. प्रस्तावित इकाई स्थल का पताः **ग्रामीण** **शहरी**

तालुका/ब्लॉकः

जिलाः

७. परियोजना मंजूरी के क्षेत्र में पसंद के बैंक का नाम और पता

बैंक का नामः
पताः

तालुका/ब्लॉक
जिलाः
शाखा कूट सं.ः

८. योग्यता

शैक्षणिक	तकनीकी

९.क्या उद्यमिता विकास कार्यक्रम (न्यूनतम २ सप्ताह के) में भाग लिया है?ः (निशान लगाएँ ✓) **हाँ** ☐ **नहीं** ☐

प्रशिक्षण संस्थान का नाम और पता	प्रशिक्षण की अवधि		प्रमाणपत्र निर्गम की तिथि
	से	तक	

१०. क्या आवेदक निम्नलिखित से संबंधित है (निशान लगाएँ ✓)

अजा	अजजा	अपिव	शावि	पूर्व-सैनिक	अल्पसंख्यक	पहाड़ी सीमा क्षेत्र	सामान्य

११.परियोजना का प्रकार (निशान लगाएँ ✓) विनिर्माण इकाई ☐ व्यवसाय/सेवा इकाई ☐

१२. प्रस्तावित परियोजना/ व्यवसाय गतिविधि का नामः

१३. अपेक्षित ऋण राशि (रु.में)

भवन का प्रकार (स्वयं का/ पट्टे पर/ किराये पर)	पूँजीगत व्यय ऋण			कार्यशील पूँजी/नकद ऋण सीमा	जोड़
	वर्कशेड, भवन आदि	मशीनरी और उपकरण	परिचालन-पूर्व लागत		

१४. केंद्र/ राज्य सरकार की योजना/ या समान प्रकार की किसी अन्य योजना से पूर्व में लिए गए या वर्तमान ऋण/ अनुदान और सब्सिडी का विवरण.

परियोजनागत गतिविधि और पता	राशि(रु. में)	मंजूरी का वर्ष

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि दी गई सभी सूचनाएँ सत्य हैं; और यह कि मैंने और मेरे किसी आश्रित ने ऐसी कोई परियोजना स्थापित करने के लिए केंद्र/ किसी राज्य सरकार से या बैंक से सब्सिडी-सहबद्ध योजना के अंतर्गत कोई राशि उधार नहीं ली है.

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणीः

- ***निजी अंशदान के रूप में अजा/अजजा/अपिव/शावि/महिला/पूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी सीमाक्षेत्र के लिए ५% और सामान्य के लिए १०% निवेश होगा.***
- ***कुल परियोजना लागत विनिर्माण इकाई के लिए रु. २५ लाख और व्यवसाय/सेवा इकाई के लिए रु. १० लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.***
- ***आवेदक को स्वयं के अंशदान के मामले में निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त मार्जिन राशि (सब्सिडी) पाने का अधिकार नहीं होगा.***
- ***विनिर्माण इकाई के लिए रु. १० लाख और सेवा इकाई के लिए रु. ५ लाख से अधिक की परियोजना लागत के लिए अभ्यर्थी को VIIIवीं कक्षा उत्तीर्ण होना होगा.***
- ***आवेदनपत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिएः***

१. शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र (***विनिर्माण उद्योग में रु. १० लाख और सेवा उद्योग में रु. ५ लाख से अधिक की परियोजना लागत वाली इकाई के मामले में).***

२. **अजा/अजजा/अपिव/शावि/पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के मामले में संगत प्रमाणपत्र.**

३. यदि **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (न्यूनतम २ सप्ताह के) प्रशिक्षण में भाग लिया है, तो प्रमाणपत्र की छायाप्रति** प्रस्तुत करें.

केवल कार्यालयीन प्रयोग के लिए (अस्वीकृत/ जिला कार्य दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए)
कारण (यदि अस्वीकार किया गया हो)ः

स्थानः — अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम
दिनांकः — खाग्रा आयोग/ खाग्रा बोर्ड/ जिला उद्योग केंद्र

फ्लो चार्ट - आवेदन प्रक्रिया

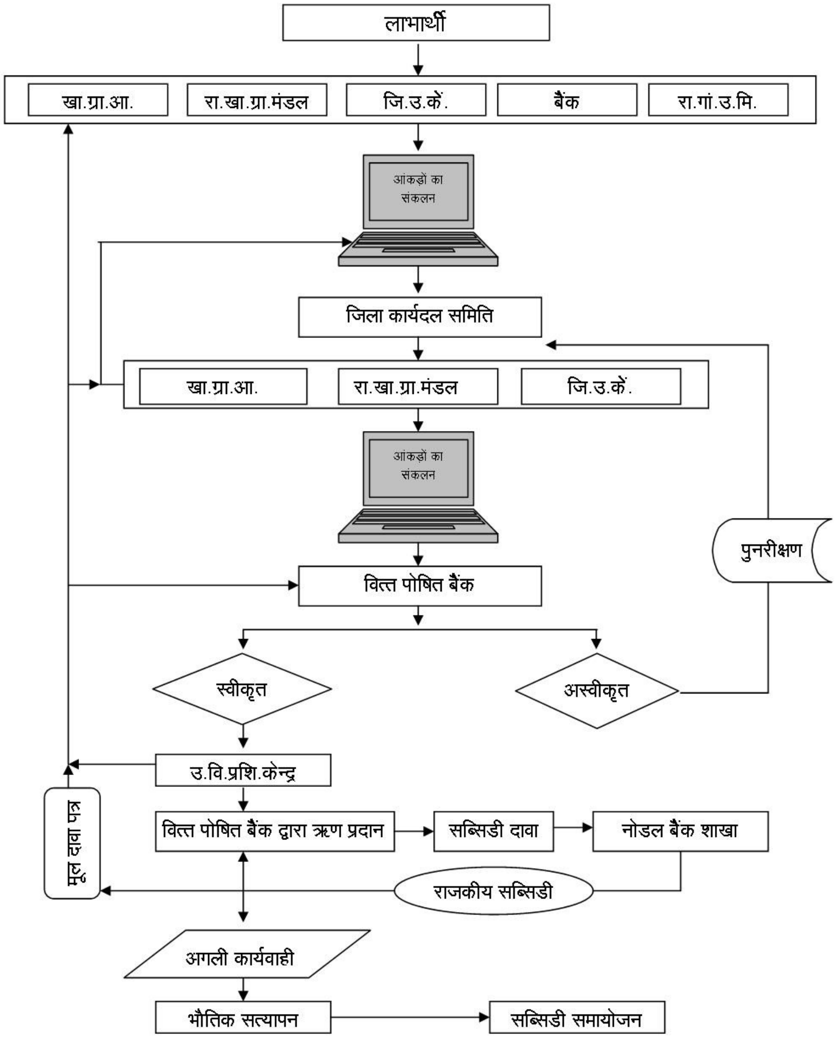

संभावित लाभार्थियों का चयन

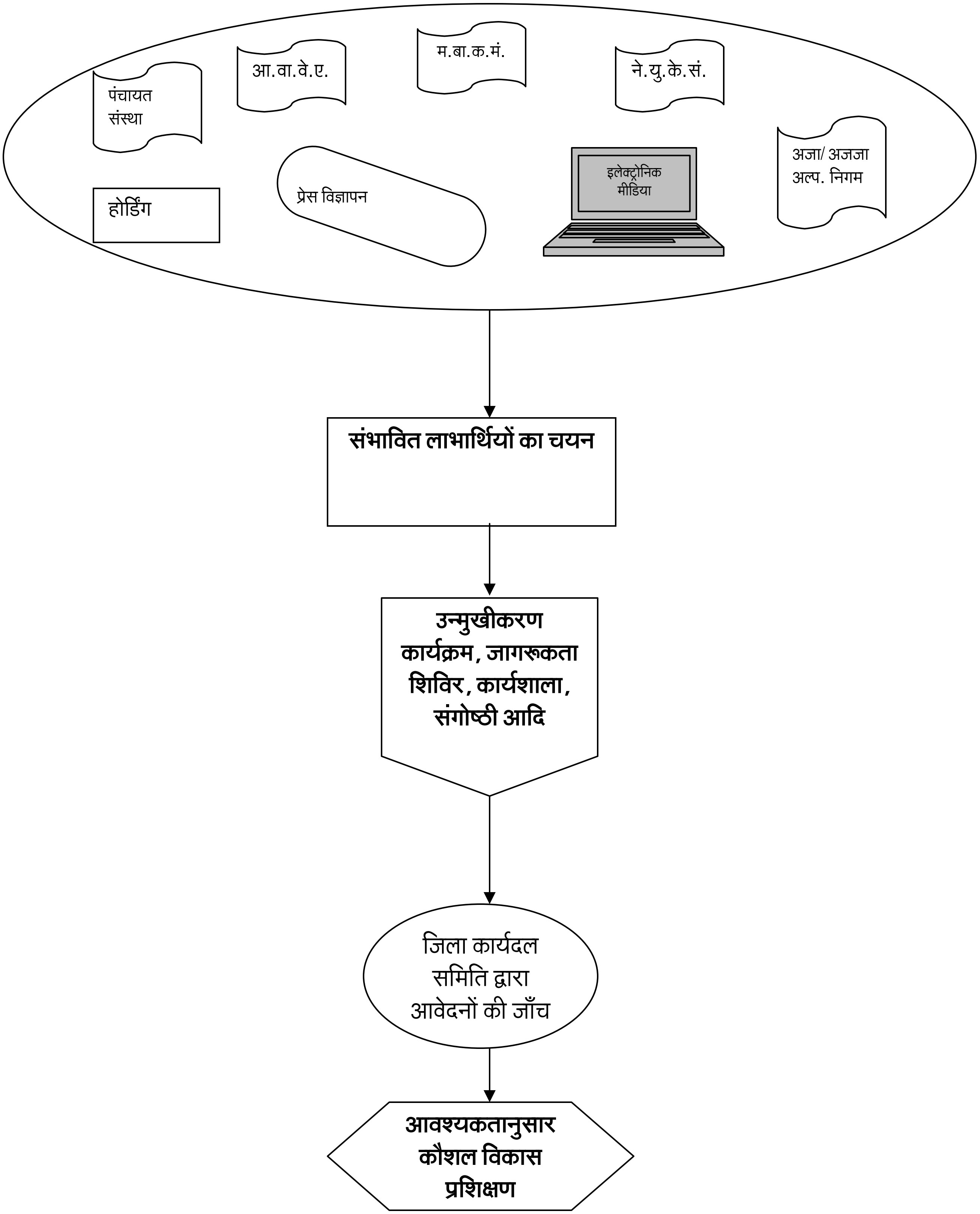

फ्लो चार्ट - कार्यदल समिति के कार्य

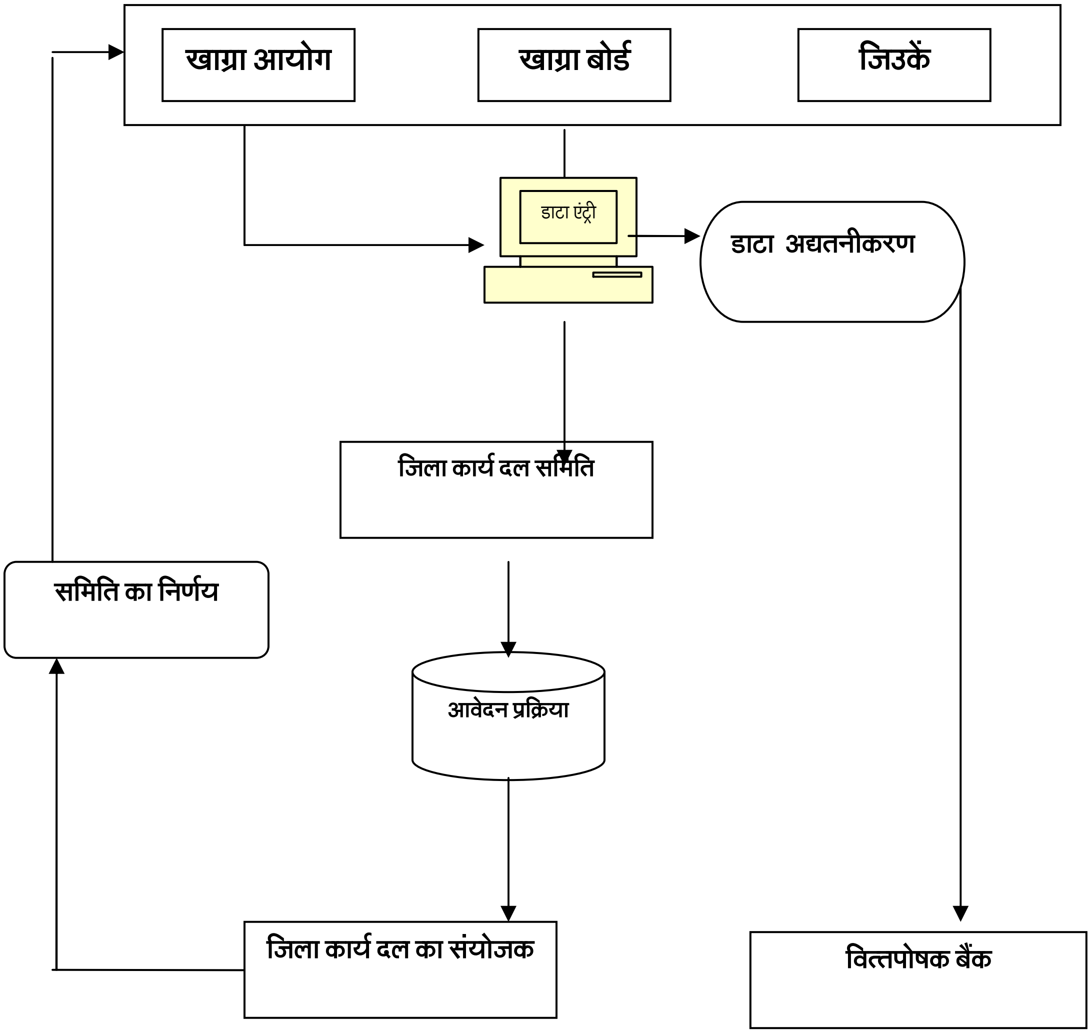

फ्लो चार्ट - उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण

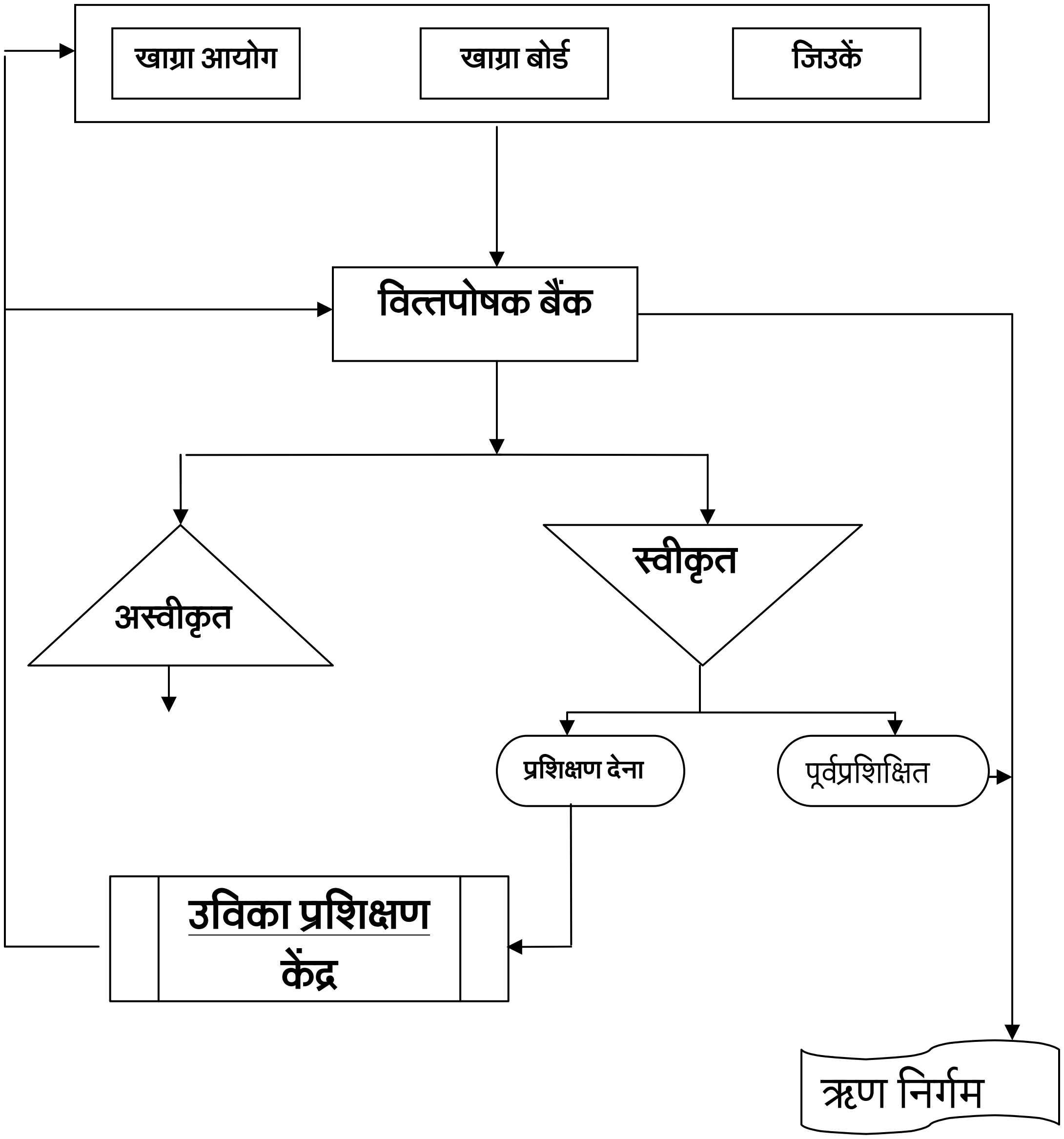

<u>सरकारी सब्सिडी का प्रवाह</u>

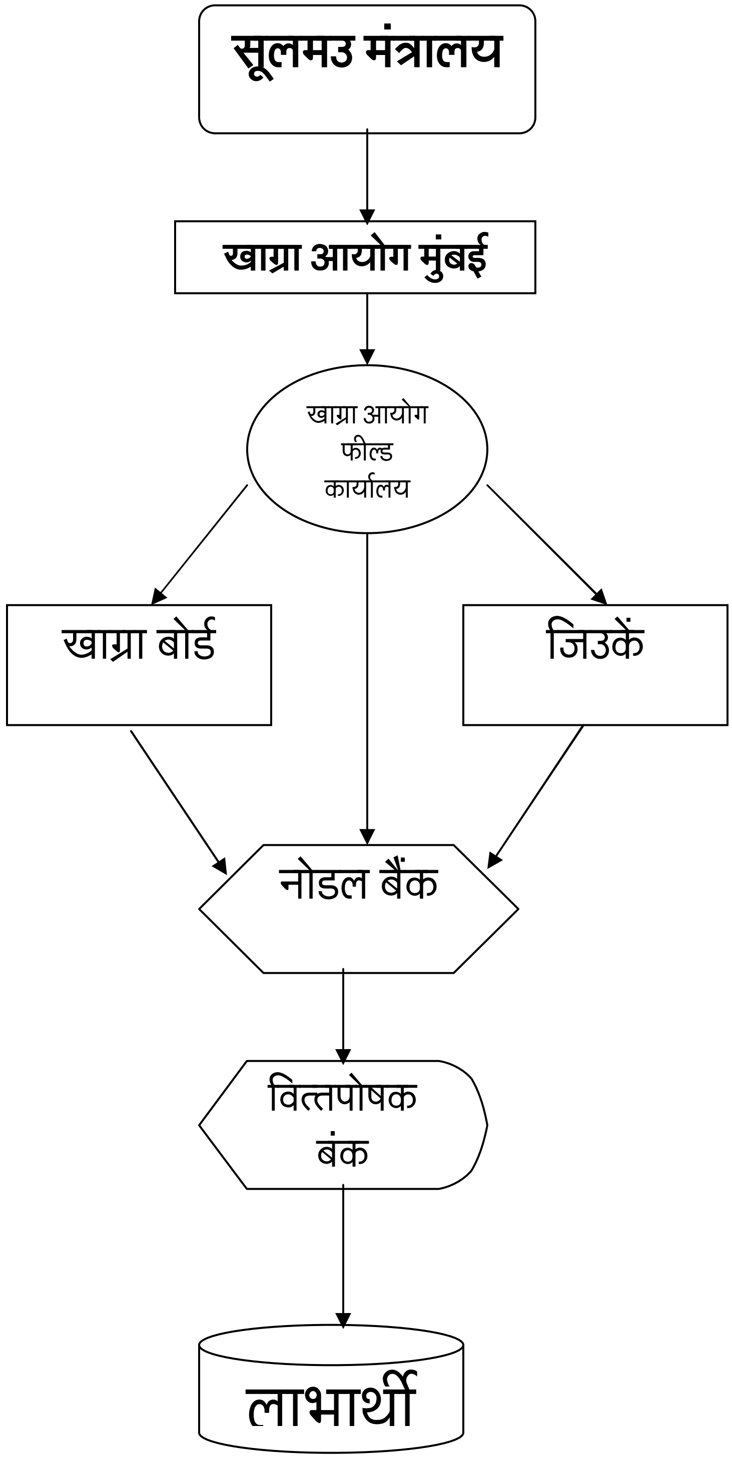

फ्लो चार्ट - भौतिक सत्यापन

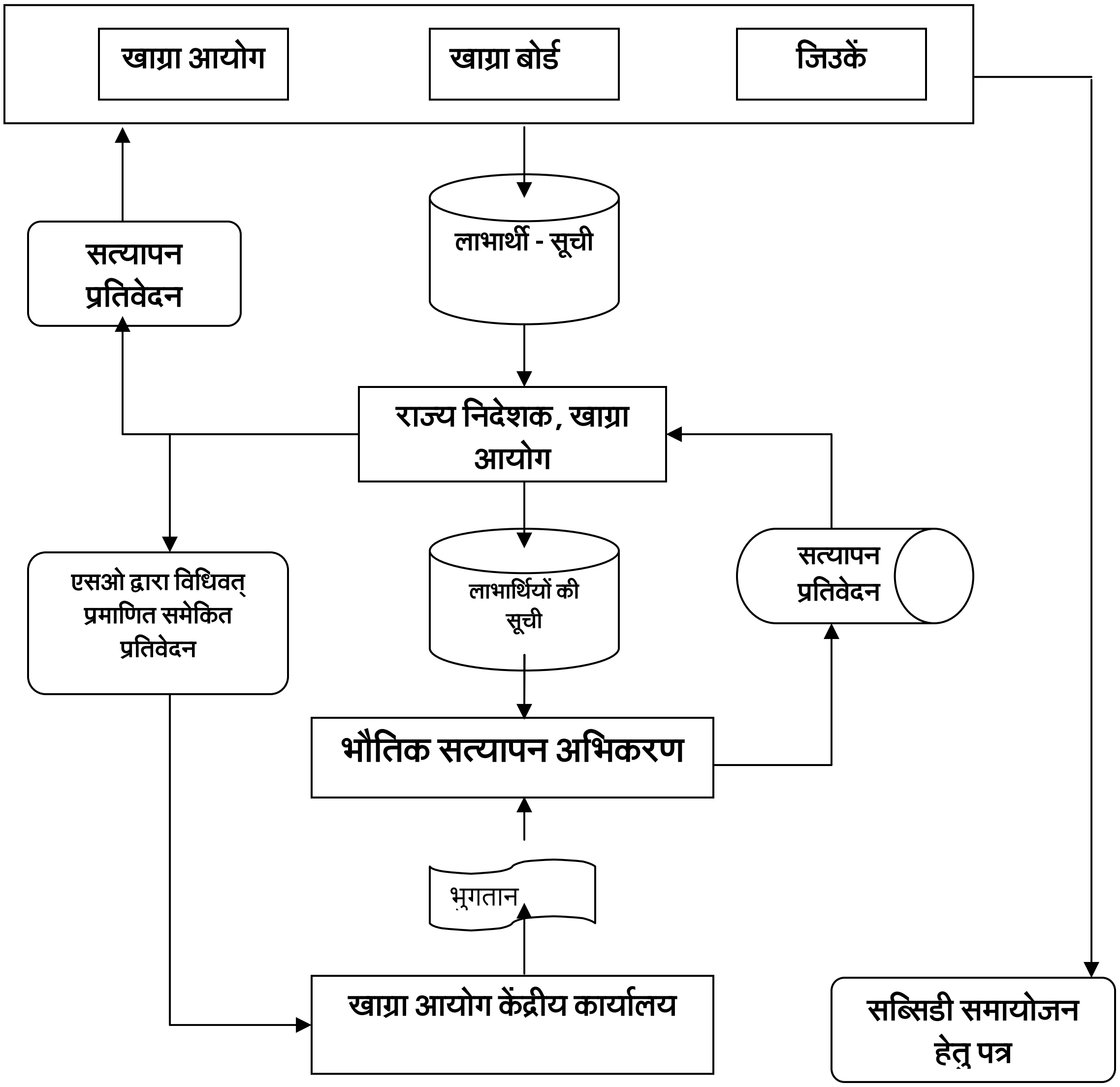

प्रतिवेदन-प्रणाली

1. परियोजनाओं की समूह-वार सं.
2. सरकारी सब्सिडी का उपयोग
3. सृजित रोजगार
4. वित्तीय सीमा-वार परियोजनाएँ
5. सामाजिक वर्ग-वार परियोजनाएँ
6. सरकारी सब्सिडी का सामाजिक वर्ग-वार उपयोग
7. सामाजिक वर्ग-वार रोजगार
8. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत प्रगति

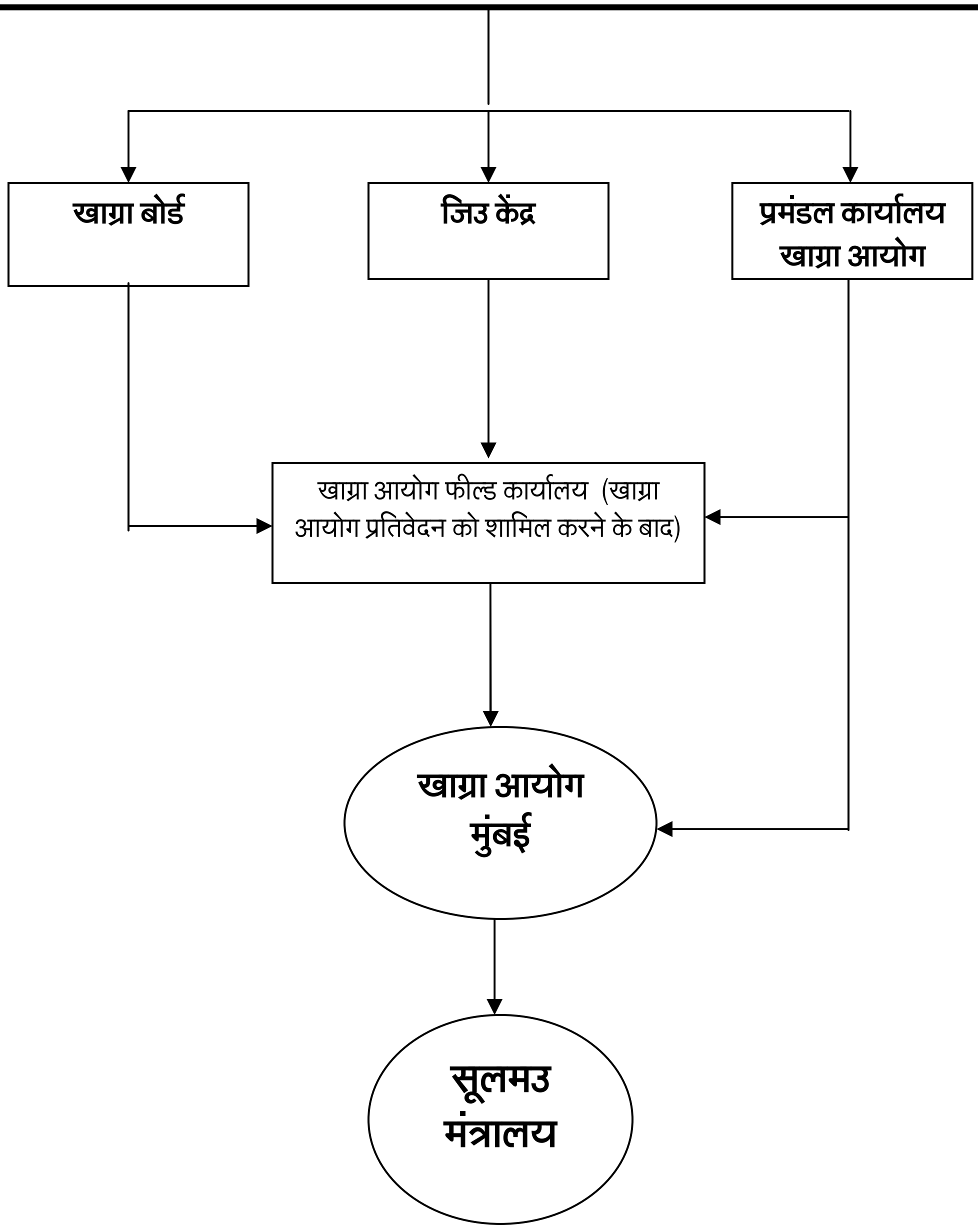

प्रमंरोसृका योजना के अंतर्गत बैंक खातों के परिचालन संबंधित मार्गनिर्देश

१. परिचय :

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष २००८-०९ से सूलमउ मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, और खादी और ग्रामोद्योग आयोग योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण है। योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा लाभार्थी को मंजूर की जाने वाली परियोजना के लिए १५% से ३५% तक की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। इस प्रयोजन से सूलमउ मंत्रालय वर्ष-दर-वर्ष आधार पर खाग्रा आयोग को निधि प्रदान करेगा।

२. सूलमउ मंत्रालय से निर्गम :

i) सूलमउ मंत्रालय संबंधित वर्ष के लिए सरकार द्वारा आवंटित बजट के अनुसार खाग्रा आयोग को किस्तों में सरकारी सब्सिडी की राशि जारी करेगा।

ii) खाग्रा आयोग उक्त निधियों के निर्गमों के लिए मंत्रालय के समक्ष माँग प्रस्तुत करेगा। यह माँग वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य पर आधारित होगी।

३. खाग्रा आयोग से फील्ड कार्यालयों को निधियों का प्रवाह

i) मंत्रालय से निधियाँ प्राप्त होने के तत्काल बाद, खाग्रा आयोग राज्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर आयोग के राज्य और प्रमंडल कार्यालयों को आनुपातिक राशियाँ जारी करेगा। यह निर्गम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में बनाई गई निम्नलिखित कार्यविधि का पालन करने के बाद किया जाएगा।

ii) इस प्रयोजन से सभी राज्य कार्यालयों द्वारा मुख्य खाते के रूप में एक अलग बैंक खाता अर्थात् 'खाग्राआ-राका-प्रमंरोसृका' बचत खाता खोला जाएगा और प्रमंरोसृका को किए जाने वाले सभी प्रकार के निर्गम इसी खाते के माध्यम से परिचालित किए जाएँगे। इसी प्रकार सभी प्रमंडल कार्यालयों द्वारा उस

शहर में प्रमंरोसृका के लिए खाग्राआ-प्रका-प्रमंरोसृका के नाम से मुख्य खाता खोला जाएगा, जहाँ प्रमंडल कार्यालय अवस्थित है।

iii) कोई अन्य खाता, ग्रारोसृका बैंक खातों सहित, जो राज्य/ प्रमंडल कार्यालयों में परिचालित हो, इस खाते के साथ जोड़ा नहीं जाएगा और ग्रारोसृका के अंतर्गत कोई प्रतिफल/ धनवापसी/ सृजित संसाधन प्रमंरोसृका बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। यह खाता केवल प्रमंरोसृका के लिए अलग खाता होगा।

४. नोडल शाखा खाते खोलना :

i) राज्य के अग्रणी बैंक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाग्रा बोर्ड और निदेशक, उद्योग, राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निदेशक, खाग्रा बोर्ड और राज्य के निदेशक (उद्योग) के प्राधिकृत अधिकारियों से एडवांस स्टैम्प्ड रसीद प्राप्त करने के बाद प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की नोडल शाखा में तीन अलग-अलग बचत बैंक खाते खोलेगा - खाग्राआ-प्रमंरोसृका, खाग्राबो-प्रमंरोसृका और जिउकें-प्रमंरोसृका।

ii) प्रत्येक बैंक की नोडल शाखा में खाते खोलना अनिवार्य नहीं है। खाते आवश्यकता के आधार पर बैंक के परिचालन को ध्यान में रखते हुए खोले जाएँगे, अर्थात् उनके द्वारा मंजूर की जाने वाली परियोजनाओं की संभावित संख्या, राज्य में परिचालन क्षेत्र, उपलब्ध शाखाओं की संख्या आदि को ध्यान में रखते हुए। दूसरे शब्दों में, खाते केवल उन्हीं बैंकों मे खोले जाएँगे, जिनके द्वारा प्रमंरोसृका परियोजनाएँ मंजूर करने की संभावना होगी और जिनके द्वारा उन परियोजनाओं के लिए सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने की उम्मीद होगी।

iii) नोडल शाखा खाते के राज्य की राजधानी में होंगे।

iv) खाग्रा आयोग के प्रमंडल कार्यालयों के मामले में, प्रमंडल कार्यालय के क्षेत्राधिकार में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में आवश्यकतानुसार केवल नोडल शाखा खाता, 'खाग्राआ-प्रका-प्रमंरोसृका' के नाम से खोला और परिचालित किया जाएगा। लेकिन नोडल शाखा का बैंक खाता उस शहर में होना चाहिए,

जहाँ प्रमंडल कार्यालय अवस्थित है। इसका प्रयोजन यह है कि प्रमंडल कार्यालय केवल खाग्रा आयोग से संबंधित परियोजनाओं के मामले में ही सरकारी सब्सिडी को मंजूरी देगा।

v) नोडल शाखा बैंक खाता खोलने के बाद, राज्य निदेशक द्वारा खाग्रा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उद्योग निदेशक को बैंक खाता संख्या, नोडल शाखा के पते और जमा की गई राशि आदि की सूचना दी जाएगी।

५.नोडल शाखा बैंक खाते का परिचालन :

i) खाग्रा आयोग का राज्य निदेशक सीधे या अपने प्राधिकृत अधिकारी/ अधिकारियों के माध्यम से, जो सहायक निदेशक से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे, नोडल शाखा बैंक खाते का परिचालन करेगा।

ii) खाग्रा बोर्ड नोडल खाते और उद्योग निदेशक नोडल शाखा खाते गैर-परिचालनगत (चेक सुविधा रहित) खाते होंगे, जैसा कि पहले ग्रारोसृका के अंतर्गत होता था। खाग्रा आयोग के राज्य निदेशक, संव्यवहार पत्र के माध्यम से खाग्रा बोर्ड और उद्योग निदेशालय के प्राधिकृत अधिकारी/ अधिकारियों को संबंधित खातों के परिचालन के लिए, अर्थात् निधियों को नोडल शाखा से वित्तपोषक बैंक में अंतरित करने के लिए, प्राधिकृत करेंगे।

iii) उक्त खातों पर अर्जित ब्याज को राज्य स्तर पर, समय-समय पर, खाग्रा आयोग मुख्य खाते में अंतरित किया जाना चाहिए। इस ब्याज का उपयोग सरकारी सब्सिडी जारी करने में नहीं किया जाना चाहिए।

iv) नोडल शाखा से वित्तपोषक शाखा को सरकारी सब्सिडी का अंतरण योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

v) नोडल शाखा बैंक खाते का उपयोग केवल सरकारी सब्सिडी को वित्तपोषक परियोजनाओं के लिए जारी करने के प्रयोजन से किया जाना चाहिए, न कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम, प्रदर्शनी आदि किसी बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत। बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत उक्त व्ययों के लिए परिचालन खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा खोले गए अलग खातों से किए जाएँगे।

ख

जिला कार्यदल समिति पर परिचालनात्मक मार्गनिदेश

परिचय :

I. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष २००८-०९ से सूलमउ मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण है। यह योजना खाग्रा आयोग और राज्यों के खाग्रा बोर्डों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा ग्रामीण तथा शहरी- दोनो क्षेत्रों में ''लाभार्थियों के चयन के लिए बेहतर प्रणाली'' विकसित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

II. प्रथम चरण में यह निर्णय लिया गया है कि आवेदन पत्रों की संवीक्षा की पारदर्शी प्रणाली स्थापित की जाए ताकि परियोजना के लिए बैंक ऋण का लाभ उठाने वाले सही लाभार्थियों का चयन हो सके। यदि अपेक्षित कौशल, ज्ञान, प्रवृत्ति और अभिवृत्ति रखने वाले लाभार्थियों का उचित चयन किया जाएगा, तो इकाई / उद्यम के दक्षतापूर्ण प्रबंधन में सहायता मिलेगी और वह दीर्घकालिक रूप से व्यवहार्य रहेगा। आवेदन पत्र आमंत्रित करने से लेकर बैंक के पास परियोजना को प्रेषित करने तक का कार्य जिला कार्यदल समिति द्वारा किया जाएगा।

२. आवेदन पत्र आमंत्रित करना :

I. संबंधित राज्य में खाग्रा आयोग का राज्य निदेशक व्यापकतर प्रचार-प्रसार के लिए प्रमंरोसृका के अंतर्गत परियोजनाएँ आमंत्रित करने हेतु स्थानीय प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक प्रसार माध्यमों अर्थात् क्षेत्रीय समाचार पत्रों, स्थानीय टी.वी. चैनलों, रेडियो आदि पर एक विज्ञापन, आवधिक अंतरालों पर जारी करेगा। सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को आवेदन पत्र भेजने में समर्थ बनाने के लिए खाग्रा आयोग/ खाग्रा बोर्ड/ जिला उद्योग केंद्र के पते आदि का विवरण भी दिया जा सकता है।

II. इस आशय का विज्ञापन जारी करने के अलावा, राज्य निदेशक आवेदन पत्रों के संग्रहण और उन्हें पदनामित प्राधिकारियों तक प्रेषित करने में नेहरू युवा केंद्र संगठन, अजा/ अजजा/ अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगमों, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय, आर्मी वाइव्ज़ वेलफेयर एसोसियेशन, पंचायती राज संस्थाओं आदि की सहायता ले सकता है।

III. खाग्रा आयोग ने आवेदन पत्र का एक मानक प्रारूप और विज्ञापन तैयार किया है और सभी संभावित उद्यमियों को उसी फार्मेट में आवेदन करने के अनुदेश दिए जा सकते हैं। आवेदन पत्र का फार्मेट संलग्न है।

IV. अंग्रेजी में आवेदनपत्र के मानकीकृत फार्मेट और विज्ञापन के आधार पर संबंधित राज्य निदेशक उनका अनुवाद क्षेत्रीय भाषा में करा सकता है और तदनुसार विज्ञापन जारी कर सकता है।

V. प्रमंरोसृका योजना में लाभार्थी खाग्रा आयोग या खाग्रा बोर्ड या जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से ही सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। आवेदन करते समय लाभार्थी को इस विषय में एक विकल्प चुनना होगा और आवेदन पत्र में इसका स्पषट उल्लेख करना होगा।

VI. अपनी परियोजना के लिए सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लाभार्थी के विकल्प के आधार पर उसे इस प्रयोजन से अपना आवेदन पत्र खाग्रा आयोग या खाग्रा बोर्ड या जिला उद्योग केंद्र को प्रस्तुत करना होगा।

३. आवेदन पत्रों की प्रारंभिक संवीक्षा :

१. आरंभिक चरण में, आवेदन पत्रों की प्रारंभिक संवीक्षा खाग्रा आयोग के मामले में संबंधित राज्य/ प्रमंडलीय निदेशक द्वारा, खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों के मामले में प्राधिकृत अधिकारी/ समिति द्वारा की जा सकती है ताकि निर्धारित मानदंडों को पूरा करना, यदि कोई हो, सुनिश्चित किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जाना है कि लाभार्थी ने केन्द्र/ राज्य सरकार की किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो, और जिन मामलों में ऐसा है, उनमें आवेदन को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाए। ऐसे आवेदनों को अस्वीकार करने वाले अधिकारी/ समिति की अभिरक्षा में रखा जाएगा और ऐसे मामलों का एक सारांश, कारणों सहित, जिला कार्यदल समिति के समक्ष, उनके अंतिम अनुमोदन / अस्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। किसी आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का अधिकार केवल कार्यदल समिति को होगा।

२. खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्डों / जिला उद्योग केंद्रों को प्राप्त सभी आवेदन पत्र जिला कार्यदल समिति को प्रस्तुत किए जाएँगे।

४. जिला प्रमंरोसृका कार्य दल

I. प्रमंरोसृका योजना के अंतर्गत आवेदनपत्रों की संवीक्षा और लाभार्थियों की परियोजनाओं की मंजूरी के बारे में निर्णय लेने के लिए एक जिला स्तरीय प्रमंरोसृका कार्य दल का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे:

जिला मजिस्ट्रेट/ उपायुक्त/ कलक्टर	: अध्यक्ष
खाग्रा आयोग/ खाग्रा बोर्ड का प्रतिनिधि	: सदस्य
नेहरू युवा केंद्र संगठन/ अजा/ अजजा/ महिला निगम का प्रतिनिधि	: विशेष आमंत्रित
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास संस्था, आईटीआई/ पॉलीटेकनिक प्रतिनिधि	: विशेष आमंत्रित
डीएम/ उपायुक्त/ कलक्टर द्वारा प्रति वर्ष बारी बारी से नामित पंचायत प्रतिनिधि	: ३ सदस्य
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र /खाग्रा आयोग/ बोर्ड का प्रतिनिधि	: संयोजक सदस्य

टिप्पणी : समिति की बैठक दो महीने में एक बार या जिले को दिए गए लक्ष्य और प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर समिति के अध्यक्ष अर्थात् जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित आवधिकता के अनुसार होगी।

II. विभिन्न स्रोतों अर्थात् खाग्रा आयोग/ खाग्रा बोर्ड/ जिला उद्योग केंद्र से एकत्र आवेदन पत्रों को समिति का संयोजक सदस्य विचार के लिए समिति के समक्ष रखेगा।

III. समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और जैसा भी मामला हो, उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करेगी।

IV. पात्र पाए गए आवेदन पत्रों की अंतिम सूची के आधार पर समिति लक्ष्यों और मंजूर की गई सरकारी सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए बैंकों के पास अनुशंसित करने के लिए आवेदन पत्रों पर निर्णय देना शुरू करेगी। किसी भी स्थिति में अग्रेषित आवेदन पत्रों की संख्या और उनमें शामिल सब्सिडी की राशि सरकारी सब्सिडी के मामले में उस जिला-विशेष के पक्ष में दी गई मंजूरी के अनुपात से अधिक नहीं होगी। प्राकृतिक आपदा, या चुनाव और कानून-व्यवस्था की समस्या जैसी आपात्कालीन परिस्थितियों को छोड़कर, यह सारी प्रक्रिया ३० दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

५. चयन कार्यविधि :

I. समिति निम्नलिखित आधारों पर आवेदन पत्रों के बारे में निर्णय लेगी :

१) संभावित लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, और २) संबंधि व्यक्ति का वैयक्तिक साक्षात्कार,

II. प्रयोजन की मंजूरी के लिए लाभार्थी की अनुशंसा का आधार, विनिर्माण क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में, लाभार्थी की तकनीकी योग्यता, कौशल, पिछले अनुभव, भौगोलिक अवस्थिति और अभिवृत्ति को बनाया जाएगा। सेवा क्षेत्र के मामले में अवस्थितिगत लाभ, क्षेत्र-विशेष में उसे सेवा/ व्यवसाय की माँग और लाभार्थी की अभिवृत्ति पर विचार किया जाएगा।

III. जिला कार्यदल को अनुशंसा करते समय सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों, यथा / अजा / अजजा / अन्य पिछड़े वर्गों / महिलाओं / विकलांग / अल्पसंख्यक / पूर्व-सैनिक आदि के लिए की गई आरक्षण-व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा। आरक्षण से संबंधित मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। अलग-अलग प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित उद्योग-समूह-वार परियोजना-मानदंडों का भी पालन करना चाहिए। इसका प्रयोजन यह है कि प्रमंरोसृका में समाज के विभिन्न वर्गों का और विभिन्न उद्योगों का समुचित प्रतिनिधित्व रहे।

IV. तथापि, यदि किसी विशेष श्रेणी में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं हो और सरकारी सब्सिडी का उपयोग न किया जा सके तो जिला कार्यदल अंतिम तिमाही में, मंजूरी के प्रयोजन से अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की परियोजनाओं की अनुशंसा कर सकता है। इसका उद्देश्य है सरकारी सब्सिडी का पूर्ण उपयोग करना, परियोजनाओं की स्थापना करना और इस प्रकार रोजगार का सृजन करना।

६. कलर कोडिंग

i) जिला कार्य दल समिति द्वारा लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप से निर्णीत किए जाने के बाद आवेदन पत्रों को सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए लाभार्थी द्वारा दिए गए संगठन के विकल्प के आधार पर, यानी खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र के हिसाब से, अलग-अलग किया जाएगा।

ii) खाग्रा आयोग के फॉर्म के लिए सफेद रंग, खाग्रा बोर्ड के लिए पीला रंग और जिला उद्योग केंद्र के लिए आसमानी नीला रंग होगा।

iii) खाग्रा आयोग, राज्य खाग्रा मंडल और जिला उद्योग केंद्र पर्याप्त संख्या में रंगीन फॉर्म मुद्रित कराएगा। मुद्रण का व्यय भी, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली निधियों से किया जाएगा।

७. बैठक का कार्यवृत्त :

I. समिति के संयोजक-सदस्य द्वारा बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा और उस पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर लिए जाएँगे।

II. कार्यवृत्त में निम्नलिखित शामिल होंगे :

क) बैठक की तारीख और स्थान के साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या।

ख) प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या।

ग) संवीक्षा के समय अस्वीकार किए गए आवेदन पत्रों की संख्या और स्पष्ट शब्दों में अस्वीकृति के कारण।

घ) साक्षात्कार के बाद अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या और स्पष्ट शब्दों में अस्वीकृति के कारण।

ड.) नाम, पते, परियोजना, वित्तपोषक शाखा के नाम, योग्यता आदि के विवरण के साथ चार्ट के रूप में अनुशंसित आवेदनपत्रों की संख्या।

च) सामाजिक श्रेणी-वार, उद्योग-वार लाभार्थियों और जिले के सभी भागों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला चार्ट।

८. सामान्य :

I. जिला कार्य दल द्वारा निर्णय के बाद संयोजक सदस्य उन आवेदन पत्रों को बैठक की तारीख से ७ दिनों के भीतर खाग्रा आयोग/ खाग्रा बोर्ड/ जिला उद्योग केंद्र के संबंधित राज्य/ प्रमंडलीय कार्यालय के पास उन्हें आवेदक द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वित्तपोषक शाखा को भेजने के लिए प्रेषित करेगा। संबंधित कार्यालय आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की तारीख से ७ दिनों के भीतर उन्हें वित्तपोषक शाखा को भेजेंगे। यदि आवेदक ने वित्तपोषक शाखा और बैंक के बारे में कोई विकल्प न दिया हो तो संबंधित

कार्यालय उस आवेदन पत्र को लाभार्थी के आवासीय पते/ परियोजना स्थल से निकटतम बैंक शाखा को प्रेषित कर सकता है।

II. जिला कार्य दल द्वारा की गई अनुशंसा से कोई व्यक्ति स्वत: ही बैंक द्वारा वित्तपोषण और सरकारी सब्सिडी पाने के लिए चयनित नहीं हो जाता। उसे बैंक द्वारा वित्तपोषण के लिए निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। किंतु ये शर्तें यथार्थपरक होनी चाहिए और बैंक द्वारा जिला कार्य दल या अग्रणी बैंक अधिकारी को उनके कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि इस मामले में जिला कार्य दल की आगामी बैठक में उनके बारे में अंतिम निर्णय लिया जा सके।

III. आवेदन पत्रों की प्राप्ति से लेकर उन्हें वित्तपोषक शाखा को प्रेषित करने तक सभी सूचनाएँ/ आँकड़े खाग्रा आयोग द्वारा विकसित किए गए "ऑनलाइन आवेदन पत्र ट्रैकिंग प्रणाली" में दर्ज किए जाने चाहिए। इस विषय में एक अलग मार्गनिर्देश शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

IV. चयन और प्रेषण के लिए निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

V. विधि के अंतर्गत यथानिर्धारित प्रमाणपत्र, जैसे मतदाता पहचानपत्र, राशन कार्ड को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और साक्षात्कार के समय उसे दिखाया जाना चाहिए तथा आवेदन पत्र के साथ उसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी चाहिए।

VI. आवेदन पत्रों की प्राप्ति से लेकर उन्हें प्रेषित करने तक का प्रलेखीकरण ऑनलाइन आधार पर किया जाना चाहिए और उसमें सभी आवश्यक विवरण दिए जाने चाहिए। इसके लिए अलग से मार्गनिर्देश जारी किए जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के परिचालन में आने तक यह कार्य मैनुअली किया जाएगा।

ग

प्रमंरोसृका लाभार्थियोंके लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम

१. परिचय :

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए दो केंद्र-प्रायोजित सब्सिडी योजनाओं, नामत: प्रधान मंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को एक में मिलाकर एक नई योजना *प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रमंरोसृका)* शुरू की। परिचालनात्मक मार्गनिर्देश के अनुसार ऋण की पहली किस्त के जारी होने के पहले लाभार्थी को दो सप्ताह के उद्यमिता विकास कार्यक्रम (उविका) में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। पहले ग्रारोसृका के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण की पहली किस्त के जारी होने के बाद तीन सप्ताह के उद्यमिता विकास कार्यक्रम (उविका) में प्रशिक्षण लेना होता था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य किसी उद्यम को स्थापित करने, उसका प्रबंध करने और उसे दीर्घकाल तक सफलतापूर्वक चलाने के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहित और अभिप्रेरित करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और क्षमता-निर्माण करना है।

२. उद्देश्य:

- उद्यमिता की अवधारणा, उसकी चुनौतियों और संभावनाओं की जानकारी देना।
- संभावित उद्यमियों के भीतर उद्यमिता सक्षमता अर्थात् उपलब्धि की प्रेरणा, जोखिम उठाने की क्षमता, आत्मविश्वास, लक्ष्य तय करने की क्षमता विकसित करना।
- उद्यम/ व्यवसाय की स्थापना से संबंधित कार्यविधियों और औपचारिकताओं की जानकारी देना।
- वित्त और विपणन सहित इकाई/ व्यवसाय स्थापना से संबंधित प्रबंध कौशल विकसित करना।
- व्यवसाय के अवसर को पहचानने और व्यवसाय की योजना तैयार करने के बारे में जानकारी देना।

३. अवधि : दो सप्ताह (१० कार्यदिवस)

४. पात्रता :

प्रमंरोसृका योजना के लाभार्थी, जिनकी परियोजनाएँ मंजूर की गई हैं और ऋण की पहली किस्त जारी नहीं की गई है। प्रमंरोसृका योजना के चुने हुए लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण :

जो लाभार्थी पहले ही किसी प्रतिष्ठित अर्थात् राष्ट्रीय या राज्य स्तर के उद्यमिता विकास कार्यक्रम संस्थान में न्यूनतम २-३ सप्ताह का समान प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें उक्त प्रशिक्षण में शामिल होने से छूट दी जाएगी।

५. प्रशिक्षण देने के लिए पात्र संस्थान :

- खाग्रा आयोग और खाग्रा बोर्डों के विभागीय बहु-विषयी प्रशिक्षण केन्द्र।
- खाग्रा आयोग और खाग्रा बोर्डों के प्रशासनिक नियंत्रण में चलने वाले गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र।
- खाग्रा आयोग द्वारा इस प्रयोजन से प्रमाणीकृत प्रशिक्षण संस्थान / उद्यमिता विकास कार्यक्रम संस्थान/ शैक्षणिक संस्थान।
- जिला उद्योग केंद्रों के मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान।

टिप्पणी : **इस प्रयोजन के लिए प्रमाणित प्रशिक्षण संस्थानों की सूची खाग्रा आयोग** की वेबसाईट www.pmegp.in में देखी जा सकती है।

६. पाठ्यक्रम की विषयवस्तु:

पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएगा:-

i) उद्यमी कैसे बनें; आगे की चुनौतियाँ

ii) उद्यमिता के लिए आवश्यक क्षमताएँ; उपलब्धि की अभिप्रेरणा और प्रवृत्ति निर्माण, आत्मविश्वास का विकास।

iii) उद्यम की स्थापना; व्यवसाय के अवसर को पहचानना और व्यवसाय योजना तैयार करना।

iv) उद्यम प्रबंधन;

v) दुर्लभ वित्त का प्रबंध; वित्तीय आयोजना और लेखे तैयार करना।

vi) उत्पाद का विपणन;

vii) सांविधिक कानून, उद्यमी द्वारा पालन किए जाने वाले सरकारी नियम और विनियम।

viii) उद्यम का विस्तार, विकास और स्थायित्व।

७. पाठ्यक्रम आयोजना:

अवधि - दो सप्ताह। कक्षाएँ - ४०

पहला सत्र - ०९.३० से ११.१५ पूर्वाह्न

चाय

दूसरा सत्र -११.३० पू. से ०१.१५ अपराह्न

भोजनावकाश

तीसरा सत्र - १४.०० से १५.४५ अपराह्न

चाय

चौथा सत्र -१६.०० से १७.४५ अपराह्न

दिवस	पहला सत्र	दूसरा सत्र	तीसरा सत्र	चौथा सत्र
१	पंजीकरण और उद्घाटन	संबंध बनाना व जड़ता दूर करना	उद्यमिता - आकर्षण और चुनौतियाँ	उद्यमी की विशेषताएँ; प्रवृत्ति और कौशल का महत्त्व
२	उद्यमी की क्षमताओं को आत्मसात् करना; विषयगत बोध परीक्षण (टीएटी)	जारी	जारी	जारी
३	जोखिम उठाना	समस्या का समाधान और रचनात्मकता	संप्रेषण	नेतृत्व
४	व्यवसाय आयोजना	उद्यम की स्थापना; प्रणालीबद्ध तरीका	इकाई की स्थापना के लिए कानूनी औपचारिकताएँ	संसाधन संग्रहण और सहायता प्रणाली; सहायक संगठनों की भूमिका
५	उद्यम प्रबंधन; खरीद, वस्तु सूची/ सामग्री प्रबंधन	गुणवत्ता प्रबंधन	डिजाइन और पैकिंग	मानवशक्ति प्रबंधन
६	शनिवार: एक लघु उद्योग इकाई, अधिमानत: किसी सफल उद्यमी द्वारा चलाई जा रही इकाई का दौरा।			
७	रविवार:			
८	लेखांकन और पुस्तपालन	जारी	कार्यशील पूँजी प्रबंधन	लाभालाभ विंदु विश्लेषण
९	लागत निर्धारण, मूल्य निर्धारण और लाभ प्रबंधन	विपणन कार्यनीति और बिक्री तकनाक	जारी	ग्राहक प्रबंधन
१०	समय प्रबंधन	इकाई का स्थायित्व; आवश्यक सावधानियाँ	उद्यम विकास; उत्पाद विविधीकरण और विस्तारण	जारी
११	संकट प्रबंधन	इकाई प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी; एक तात्कालिक आवश्यकता	इकाई द्वारा पालन किए जाने वाले संघीय और राज्य कानून; बिक्री कर, वैट, आयकर आदि	जारी
१२	सफल उद्यमियों के साथ संवाद; इकाई की स्थापना और प्रबंधन के बारे में उसके अनुभव	जारी	कार्यक्रम मूल्यांकन	समापन सत्र

कुल कार्यदिवस : १०   अध्ययन दौरे के लिए एक दिन

८. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :

प्रति बैच २० प्रशिक्षणार्थी

९. प्रति बैच व्यय :

i) खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्डों /के विभागीय जि.उ.कें.प्रशिक्षण केन्द्र जिन्हें राज्य अथवा केन्द्र सरकार से पूंजीगत एवं कार्यकारी पूंजी सहायता प्राप्त होती है

क) भोजन -

रु.१२० X २० X १४ दिन = रु.३३,६००/-

ख) आवास - नि:शुल्क

ग) अतिथि संकाय -

३५ सत्र X रु.५०० = रु.१७, ५००/-

घ) अध्ययन सामग्री -

२० X रु. २०० = रु. ४,०००/-

ङ) लेखन सामग्री -

२० X रु.१०० = रु.२,०००/-

च) विविध व्यय -

२० X रु.२०० = रु.४, ०००/-

छ) संस्थान को प्रोत्साहन राशि - रु.५, ०००/- प्रति बैच

ii) प्रमाणीकृत प्रशिक्षण केंद्र जिन्हें राज्य अथवा केन्द्र सरकार से पूंजीगत एवं कार्यकारी पूंजी सहायता प्राप्त नहीं होता है

क) हॉल शुल्क सहित सहभागियों के लिए आवासीय व्यवस्था -

रु.१, ०००/- प्रति दिन अर्थात् १५ दिनों के लिए = रु. १५,०००/-

ख) भोजन - रु.१२० X २० X १४ दिन = रु.३३,६००/-

ग) अतिथि संकाय -

३५ सत्र X रु.५०० = रु.१७, ५००/-

घ) अध्ययन सामग्री -

२० X रु. २०० = रु.४,०००/-

ङ) लेखन सामग्री -

२० X रु.१०० = रु.२,०००/-

च) विविध व्यय -

२० X रु.२०० = रु.४, ०००/-

छ) संस्थान को प्रोत्साहन राशि - रु.५, ०००/- प्रति बैच

प्रति बैच व्यय का कुल योग

(रु. में)

क्र।सं।	**व्ययशीर्ष**	**खाग्रा आयोग/खाग्रा बोर्ड/जि.उ.को. के प्रशिक्षण केंद्र**	**प्रमाणीकृत प्रशिक्षण केंद्र**
१	सहभागियों का आवास प्रभार	नि:शुल्क	१५,०००
२	भोजन प्रभार	३३,६००	३३,६००
३	अतिथि संकाय	१७,५००	१७,५००
४	अण्ययन सामग्री	४,०००	४,०००
५	लेखन सामग्री/ मुद्रण आदि	२,०००	२,०००
६	विविध व्यय	४,०००	४,०००
७	संस्थान को प्रोत्साहन राशि	५,०००	५,०००
कुल :		६६,१००	२१,१००

खाग्रा आयोग/ खाग्रा बोर्ड जि.उ.के. के प्रशिक्षण केंद्रों में प्रतिव्यक्ति व्यय : रु.३३०५/-

प्रमाणीकृत प्रशिक्षण केंद्रों में प्रतिव्यक्ति व्यय : रु.४०५५/-

१०. मूल्यांकनः

i) उद्यमिता विकास कार्यक्रम के पूरे होने के बाद प्रतिभागियों को अनुदेश दिया जाए कि वे उन्हें अंतिम दिन दिए गए फार्मेट में मूल्यांकन प्रपत्र भरें।

ii) मूल्यांकन प्रपत्र केवल खाग्रा आयोग के अधिकारियों को सौंपे जाने चाहिए।

iii) प्रतिभागियों द्वारा अलग से प्रस्तुत किए गए मूल्यांकन प्रतिवेदनों के आधार पर राज्य/ प्रमंडलीय निदेशकों द्वारा पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किए जाएँगे और उन्हें पाठ्यक्रम के पूरे होने के १५ दिनों के भीतर निदेशक, प्रमंरोसृका और निदेशक, मानव संसाधन विकास को प्रस्तुत किया जाएगा।

११. सामान्य :

i) बैंक लाभार्थियों को विभागीय और गैर- विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों में या प्रमाणीकृत प्रशिक्षण केंद्रों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित करेंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे खाग्रा आयोग के संबंधित राज्य कार्यालय को विधिवत् प्रमाणित व्यय विवरण भेजेंगे।

ii) उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति खाग्रा आयोग के संबंधित राज्य कार्यालय द्वारा सीधे प्रशिक्षण केंद्र को की जाएगी।

iii) अथिति संकाय को आमंत्रित करते समय ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए और उन्हें अधिमानता देनी चाहिए जो विषय-विशेष के लिए अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखते हों। इसके अलावा कराधान संबंधी कानूनों और उद्यम स्थापना के लिए पालन किए जाने वाले कानून जैसे विषयों पर जानकारी देने के लिए दीर्घ अनुभव रखने वाले सरकारी अधिकारियों और उद्यमियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

घ

प्रमंरोसृका ऑनलाइन आवेदन पत्र ट्रैकिंग प्रणाली

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय ने वेब-आधारित 'प्रमंरोसृका ऑनलाइन आवेदन पत्र ट्रैकिंग प्रणाली' अभिकल्पित और विकसित की है, ताकि योजना की निगरानी की जा सके और लाभार्थी के स्तर पर आवेदन पत्र की ताजा स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके। इस प्रणाली से इंटरनेट के माध्यम से किसी भी समय आवेदन पत्र की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और साथ ही कार्यान्वयी अभिकरण खाग्रा आयोग तथा सूलमउ मंत्रालय समय-समय पर विविध प्रकार के प्रतिवेदन जेनरेट कर सकेंगे। इस प्रणाली से आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के समय से लेकर सरकारी सब्सिडी के समायोजन तक की स्थिति की ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

इस प्रणाली के संबंध में अलग मार्गनिर्देश शीघ्र ही जारी किए जा रहे हैं।

ङ

प्रमंरोसृका इकाइयों का भौतिक सत्यापन

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए केंद्र-प्रायोजित दो सब्सिडी योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय कर 'प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (प्रमंरोसृका) नामक नई योजना तैयार की। ग्रारोसृका योजना ३१.०३.२००८ तक परिचालन में थी। प्रमंरोसृका योजना के मार्गनिर्देशों के अनुसार स्थापित इकाइयों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। यह सत्यापन इकाइयों की स्थापना से २४ महीनों के भीतर पूरा किया जाना है। मानव संसाधन की उपलब्धता की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि भौतिक सत्यापन का कार्य राष्ट्रीय / राज्य स्तर के प्रतिष्ठित बाहरी अभिकरणों से कराया जाए।

इस प्रणाली के संबंध में अलग मार्गनिर्देश शीघ्र ही जारी किए जा रहे हैं।

च

प्रतिवेदन और निगरानी

१. परिचय :

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष २००८-०९ से सूलमउ मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण है। योजना के मार्गनिर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए सूलमउ मंत्रालय नियंत्रक और निगरानी अभिकरण है। कार्यान्वयन हेतु नोडल अभिकरण के रूप में खाग्रा आयोग आवधिक आधार पर मंत्रालय को प्रतिवेदन भेजेगा जिसकी समीक्षा मंत्रालय द्वारा की जाएगी और योजना के सहज कार्यान्वयन के लिए आगे सुझाव, परिवर्तन या आशोधन किए जाएँगे।

२. प्रतिवेदन :

(i) प्रमंरोसृका योजना का कार्यान्वयन फील्ड में खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड और राज्य सरकार के जिला उद्योग केंद्रों द्वारा किया जाएगा। उन्हें वार्षिक आधार पर राज्यवार लक्ष्य दिए जाएँगे और राज्यस्तरीय बैंकर समिति के परामर्श से राज्यवार लक्ष्यों को जिला-वार और बैंक-वार पुनराबंटित किया जाएगा।

(ii) खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र मासिक आधार पर संबंधित राज्य के खाग्रा आयोग के राज्य निदेशक को संबंधित माह में उनके द्वारा हासिल की गई प्रगति का प्रतिवेदन निर्धारित फार्मेट में भेजेंगे। उक्त प्रतिवेदन संबंधित माह से परवर्ती माह की अधिकतम ३ तारीख तक निश्चित रूप से राज्य निदेशक के पास पहुँच जाना चाहिए।

(iii) सूचना में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) परियोजनाओं की समूह-वार संबंध में उपलब्धि।

(ख) सरकारी सब्सिडी का उपयोग।

(ग) सृजित रोजगार।

(घ) वित्तीय विस्तार और सामाजिक श्रेणी के हिसाब से परियोजनाएँ।

(ड.) सामाजिक श्रेणी के हिसाब से सरकारी सब्सिडी का उपयोग और सृजित रोजगार।

(च) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत प्रगति।

(छ) लक्ष्यों को प्राप्त न करने की स्थिति में कारणों का उल्लेख और शेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्रवाई योजना।

(iv) उक्त सूचनाएँ खाग्रा आयोग द्वारा तैयार किए गए वेब-आधारित प्रतिवेदन प्रणाली पर भी दी जानी चाहिए।

(v) खाग्रा आयोग का राज्य निदेशक प्रतिवेदन-माह के अपने कार्यनिष्पादन को शामिल करते हुए एक समेकित प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसे प्रत्येक माह की अधिकतम ५वीं तारीख तक निदेशक (ग्रारोसृका / प्रमंरोसृका) को प्रेषित करेगा।

(vi) खाग्रा आयोग के प्रमंडलीय कार्यालय अपने कार्यनिष्पादन प्रतिवेदन प्रत्येक माह की अधिकतम ५वीं तारीख तक निदेशक (ग्रारोसृका / प्रमंरोसृका) को भेजेंगे।

(vii) खाग्रा आयोग के राज्य / प्रमंडलीय कार्यालय अपना कार्यनिष्पादन प्रतिवेदन प्रत्येक महीने केवल वेब-आधारित प्रतिवेदन-प्रणाली के माध्यम से ही भेजेंगे।

(viii) निदेशक (ग्रारोसृका / प्रमंरोसृका) राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा करेगा और एक समेकित रिपोर्ट प्रति माह अधिकतम १० तारीख को सूलमउ मंत्रालय को प्रेषित करेगा।

३. निगरानी :

योजना के कार्यान्वयन के लिए चार स्तरों वाली निगरानी प्रणाली होगी।

(अ) राज्य स्तरीय

(आ) अंचल स्तरीय

(इ) राष्ट्र स्तरीय

(ई) सूलमउ मंत्रालय स्तरीय

क) राज्य स्तरीय निगरानी

(i) प्रमंरोसृका योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की जाएगी, जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे।

क) प्रधान सचिव / आईडीसी, उद्योग विभाग	------	अध्यक्ष
ख) निदेशक, उद्योग	------	सदस्य
ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाग्रा बोर्ड	-----	सदस्य
घ) राज्य के प्रमुख सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधि	-----	५ सदस्य
ड।) अजा / अजजा निगम का प्रतिनिधि	------	सदस्य
च) पंचायती राज विभाग का प्रतिनिधि	------	सदस्य
छ) राज्य के महिला विकास निगम का प्रतिनिधि	------	सदस्य
ज) राज्य में खाग्रा आयोग का प्रमंडलीय निदेशक	------	सदस्य
झ) सिडबी का प्रतिनिधि	-----	विशेष आमंत्रित
ञ) नाबार्ड का प्रतिनिधि	-----	विशेष आमंत्रित
ट) खाग्रा आयोग का राज्य निदेशक	-----	सदस्य संयोजक

(ii) राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक एक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

(iii) समिति के कार्य -

क) तिमाही के दौरान प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन में खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र के कार्यनिष्पादन / उपलब्धियों की अलग से समीक्षा करना। समीक्षा में लक्ष्य की तुलना में कुल उपलब्धि और सामाजिक वर्ग, उद्योग और क्षेत्र की दृष्टि से असंतुलन, यदि कोई हो, और साथ ही योजना के व्यापकतर प्रचार-प्रसार के लिए की गई कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

ख) कार्यनिष्पादन में सुधार और असंतुलन, यदि कोई हो, को ठीक करने के लिए सुझाव।

ग) समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला कलक्टर / जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला परामर्शदातृ समिति / जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठकों की कार्यसूची में स्थायी कार्यमद के रूप में शामिल कर प्रमंरोसृका के कार्यनिष्पादन की नियमित समीक्षा की की जाए।

घ) खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड, जिला उद्योग केंद्रों द्वारा तैयार की गई प्रतिवेदन-प्रणाली की समीक्षा करना।

ड .) जिला कार्य दल की अनुशंसाओं के संदर्भ में बैंकों द्वारा की गई मंजूरियों की समीक्षा।

च) चुने गए लाभार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण देना।

छ) प्रमंरोसृका योजना से संबंधित कोई अन्य विषय।

(iv) उक्त समिति की बैठक पर होने वाले व्यय खाग्रा आयोग के राज्य कार्यालय द्वारा अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार किए जाएँगे।

ख। अंचल स्तरीय समिति

(i) अंचल स्तरीय समिति प्रमंरोसृका योजना के कार्यनिष्पादन / उपलब्धियों की समीक्षा करेगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाग्रा आयोग	------	अध्यक्ष
ख) अंचल के प्रत्येक राज्य के उद्योग निदेशक	------	सदस्य
ग) राज्य / संघशासित क्षेत्र के खाग्रा बोर्डों के कार्यकारी अधिकारी	------	सदस्य
घ) प्रत्येक राज्य के अग्रणी बैंक प्रबंधक	------	सदस्य
ड.) अंचल के प्रत्येक राज्य के राज्य / प्रमंडलीय निदेशक	------	सदस्य
च) खाग्रा आयोग के अंचल उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी	-----	सदस्य-संयोजक

(ii) समिति की बैठक एक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

(iii) समिति के कार्यों में शामिल हैं -

(क) तिमाही आधार पर अंचल के सभी राज्यों में खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्रों द्वारा प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन के कार्यनिष्पादन / उपलब्धियों का समीक्षा करना।

(ख) खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा बनाई गई प्रतिवेदन प्रणाली की समीक्षा।

(ग) जिला कार्यदल की अनुशंसाओं के संदर्भ में बैंक द्वारा दी गई मंजूरियों की समीक्षा।

(घ) चुने गए लाभार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण।

(ड.) प्रमंरोसृका योजना से संबंधित कोई अन्य विषय।

(iv) उक्त समिति की बैठक पर होने वाला व्यय, अंचल में खाग्रा आयोग के उस राज्य कार्यालय द्वारा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार वहन किया जाएगा, जहाँ बैठक आयोजित की जाएगी।

ग. राष्ट्र स्तरीय समिति

(i) राष्ट्र स्तरीय निगरानी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) माननीय अध्यक्ष, खाग्रा आयोग	-----	अध्यक्ष
(ख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाग्रा आयोग	-----	सदस्य
(ग) वित्तीय सलाहकार, खाग्रा आयोग	-----	सदस्य
(घ) सूलमउ का प्रतिनिधि	-----	सदस्य
(ड.) सरकारी क्षेत्रों के सभी बैंकों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	-----	सदस्य
(च) राज्य / संघशासित क्षेत्र खाग्रा बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	----	सदस्य
(छ) राज्य सरकारों के उद्योग निदेशक	-----	सदस्य
(ज) भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधि	-----	सदस्य
(झ) खाग्रा आयोग के आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी	-----	सदस्य
(ञ) निदेशक, ग्रारोसृका / प्रमंरोसृका	-----	सदस्य संयोजक

(ii) समिति की बैठक छमाही में एक बार होगी।

(iii) समिति के कार्यो में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन के कार्यनिष्पादन / उपलब्धियों की राज्यवार / बैंकवार समीक्षा।

(ख) योजना के सहज कार्यान्वयन के लिए नीतिगत उपायों / परिवर्तनों का सुझाव देना।

(ग) अध्यक्ष की अनुमति से प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन से संबंधित कोई अन्य विषय।

(iv) उक्त समिति की बैठक पर होने वाला व्यय अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार निदेशक, ग्रारोसृका / प्रमंरोसृका द्वारा किया जाएगा।

घ. सूलमउ मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निगरानी

सचिव, सूलमउ मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में देश में प्रमंरोसृका योजना के समग्र कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी के लिए और नीतिगत निर्णय लेने के लिए बैठक होगी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी भाग लेंगे :

(क) सभी राज्य सरकारों / संघशासित क्षेत्र प्रशासनों के प्रधान सचिव / उद्योग विभाग के आईडीसी।

(ख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाग्रा आयोग।

(ग) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक।

उक्त बैठक और मंत्रालय द्वारा प्रमंरोसृका योजना के संबंध में आयोजित अन्य बैठकों और मंत्रालय द्वारा प्रमंरोसृका के बारे में जारी विज्ञापनों पर होने वाला व्यय प्रमंरोसृका के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज लेखाशीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से किया जाएगा।

छ

लक्ष्यों के आबंटन के संबंध में निर्देश

१. केन्द्रीय कार्यालय, खाग्रा आयोग, मुंबई द्वारा राज्यवार लक्ष्य-आबंटन

प्रमंरोसृका के अंतर्गत सूलमउ मंत्रालय द्वारा कुल स्वीकृत सब्सिडी की राशि में से १०% राशि पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त सब्सिडी सहायता देने के लिए निर्धारित है। शेष बची राशि का ६०% खाग्रा आयोग और खाग्रा बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन और ४०% जिला उद्योग केंद्रों द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनो क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए है।

२. कुल सब्सिडी राशि, २००१ की भारतीय जनगणना के अनुसार कुल आबादी के आधार पर सभी राज्यों / संघशासित क्षेत्रों को खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों के बीच ६०:४० के अनुपात में आबंटित की गई है।

३. खाग्रा आयोग के फील्ड कार्यालयों / खाग्रा बोर्डों के मामले में, आबंटन के ६०% का पुनराबंटन राज्य की ग्रमीण आबादी, राज्य के पिछड़ेपन (योजना आयोग द्वारा चुने गए २५० पिछड़े जिलों पर आधारित) और ग्रारोसृका योजना के अंतर्गत राज्य के पिछले कार्य निष्पादन के आधार किया जाता है। इसी प्रकार, शेष ४०% आबंटन हेतु जिला उद्योग केंद्रों को लक्ष्य सौंपने के लिए जो मानदंड अपनाए गए हैं, वे हैं राज्य का पिछड़ापन (योजना आयोग द्वारा चुने गए २५० पिछड़े जिलों पर आधारित), शहरी बेरोजगारी का स्तर (जैसा कि ''प्रतिवर्ष दस मिलियन रोजगार-अवसरों को लक्ष्य बनाने के संबंध में गठित विशेष समूह'' पर योजना आयोग के २००२ के प्रतिवेदन में प्रतिबिंबित हुआ है) और राज्य की ग्रामीण आबादी।

पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने के लिए निर्धारित कुल आबंटन की १०% राशि को राज्यों के पिछड़ेपन के आधार पर खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों को आबंटित किया गया है। कार्यान्वयी अभिकणों के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए दिए जाने वाले भारांक का विवरण निम्नानुसार है:

मानदंड	लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भारांक	
	खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड	जिला उद्योग केंद्र
१. राज्य की ग्रामीण आबादी	४०%	३०%
२. राज्य का पिछड़ापन	३०%	४०%
३. शहरी बेरोजगारी स्तर	--	३०%
४. ग्रारोसृका का पिछला कार्य निष्पादन	३०%	--

४। राज्य स्तर पर लक्ष्यों का पुनराबंटन

i) राज्यवार लक्ष्यों के प्राप्त होने के बाद खाग्रा आयोग के राज्य / प्रमंडलीय निदेशक, राज्य/ संघशासित क्षेत्र खाग्रा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संबंधित राज्य सरकारों के उद्योग निदेशक संयुक्त रूप से राज्य को दिए गए लक्ष्यों को राज्य स्तरीय बैंकर समिति के परामर्श से राज्य के जिलों के बीच पुनराबंटित करेंगे। यदि आवश्यक हो तो राज्यस्तरीय बैंकर समिति से इस प्रयोजन के लिए विशेष बैठक करने का अनुरोध किया जा सकता हैं।

ii) खाग्र आयोग और खाग्रा बोर्ड के लिए जिलावार लक्ष्य आबंटित करते समय जिले की ग्रामीण आबादी, जिले के पिछड़ेपन और ग्रारोसृका के अंतर्गत जिले के पिछले कार्यनिष्पादन को मानदंड बनाया जाएगा। जिला उद्योग केंद्रों के मामले में जिले के पिछड़ेपन, शहरी बेरोजगारी के स्तर और जिले की ग्रामीण आबादी को ध्यान में रखा जाएगा।

जिला स्तर पर कार्यान्वयी अभिकरणों के लिए लक्ष्य सौंपे जाने के लिए विभिन्न मानदंडों को दिए जाने वाले भारांक प्राय: निम्नानुसार होंगे :

मानदंड	लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भारांक	
	खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड	जिला उद्योग केंद्र
१. जिले की ग्रामीण आबादी	४०%	३०%
२. जिले का पिछड़ापन	३०%	४०%
३. शहरी बेरोजगारी स्तर	--	३०%
४. ग्रारोसृका का पिछला कार्य निष्पादन	३०%	--

५. खाद्य आयोग और खाद्य बोर्डों को आबंटित लक्ष्यों को, जम्मू और कश्मीर, गोवा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और नागालैंड को छोड़ कर ५०:५० आधार पर द्विभाजित किया जाएगा। इन राज्यों में खाद्य आयोग और खाद्य बोर्ड के बीच लक्ष्य को ३०:७० के अनुपात में आबंटित किया जाएगा।

६. परियोजना की संख्या की गणना हेतु प्रति परियोजना औसत सब्सिडी रु.१.२० लाख मानी जाएगी।

७. रोजगार की गणना हेतु प्रति परियोजना औसत १० रोजगार अनुमानित किया गया है।

ज

आवेदनपत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन का नमूना

स्वरोजगार के अवसरों के सृजन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना का लक्ष्य बैंक द्वारा वित्तपोषित नए उद्यमों की स्थापना करना है। इकाई की परियोजना लागत पर १५% से ३५% तक सब्सिडी दी जाएगी।

१८ वर्ष से अधिक आयु वाले बेरोजगार युवाओं से निर्धारित फार्मेट में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र के फार्मेट खादी और ग्रामोद्योग आयोग, या खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालयों और जिला उद्योग केंद्रों में उपलब्ध हैं।

आवेदन पत्र खाग्रा आयोग की वेबसाइट www.kvic.org.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

वे व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्य पात्र नहीं है, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना/ ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम या किसी अन्य केंद्रीय/ राज्य सब्सिडी। योजना के अंतर्गत सब्सिडी/ मार्जिन राशि का लाभ पहले उठा चुके हैं।

---- राज्य निदेशक

टिप्पणी : क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद कर विज्ञापित किया जाए।

झ

बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज

जिला स्तरीय जागरूकता शिविर :

खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र संयुक्त रूप से जिलें में इन शिविरों का आयोजन करेंगे।

१. प्रतिभागी

i) खाग्रा आयोग के अधिकारी

ii) राज्य खाग्रा बोर्ड के अधिकारी

iii) जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी

iv) राजस्व अधिकारी

v) स्थानीय बैंक अधिकारी

vi) स्थानीय गैर-सरकारी संगठन

vii) संभावित उद्यमी

२. शिविर की अवधि

४ से ६ घंटे

३. शामिल किए जाने वाले विषय

क) खाग्रा आयोग का अधिकारी आयोग, उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उसके कार्यों और प्रतिबद्धताओं, जिला उद्योग केंद्रों की भूमिका, ग्रामीण औद्योगिकीकरण में खाग्रा आयोग की भूमिका और उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानकारी देगा और उसके बाद एक प्रस्तुतीकरण देगा, जो अधिमानत: पावर प्वाइंट में होगा। प्रस्तुतीकरण में योजना और उसकी परिचालन-कार्यविधि के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

ख) योजना के संबंध में खाग्रा आयोग द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों/ अनुदेशों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी जाएगी और यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के प्रस्तुतीकरण से संबंधित सामग्री/ कंप्यूटर फ्लॉपी या तो स्थानीय भाषा में तैयार कराई जा सकती है या

योजना का हिन्दी/ अंग्रेजी पाठ केंद्रीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, ताकि पूरे देश में प्रस्तुतीकरण में एकरूपता रहे। तथापि, स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अपेक्षित आशोधन किए जा सकते हैं।

ग) उपर्युक्तानुसार आरंभिक परिचय देने के बाद खाग्रा आयोग के अधिकारी को विषय को खुली चर्चा के लिए छोड़ना चाहिए जिसमें उठाए जाने वाले मुद्दों पर उन्हें अपेक्षित स्पष्टीकरण देना होगा या प्रमंरोसृका उद्यमियों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान देना होगा।

घ) शिविर में खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र एक सफल उद्यमी से लोगों को परिचित कराएँगे, जो अपने अनुभव दूसरों को बताएगा।

ड.) शिविर में स्थनीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों और क्षेत्र में अन्य संभावित उद्योगों पर चर्चा होगी।

च) शिविर में स्थनीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल और बाजार आउटसोर्सिंग के संक्रेंद्रण के आधार पर, पहले ही संप्रेषित किए जा चुके समूह-वार और उद्योग-वार लक्ष्यों पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए ताकि इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

छ) जागरूकता-शिविर के आयोजक अधिकारियों को एक उपस्थिति-पंजी रखनी चाहिए और उठाई जाने वाली समस्याओं और उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों को अभिलिखित करने के लिए अलग पंजी रखनी चाहिए। शिविर का कार्यवृत्त और उसमें भाग लेने वालों की सूची राज्य निदेशक और अंचल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ज) जहाँ भी संभव हो, स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए।

झ) राज्य निदेशक को गाँव में आयोजित शिविर के कारण बैंकों को प्राप्त परियोजनाओं की प्रतिसूचना (जानकारी) निदेशक (ग्रारोसृका / प्रमंरोसृका) को भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

ञ) शिविर की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में यदि कोई सहायता प्रदान की जाती है तो उसका भी उल्लेख प्रतिसूचना-प्रतिवेदन में प्रमुखता से किया जाना चाहिए।

ट) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिविर स्थल पर खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र का बैनर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

ठ) हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में मानक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण की सीडी वॉयस ओवर के साथ प्रमंरोसृका निदेशालय द्वारा तैयार की जाएगी और उसे खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र के प्रत्येक कार्यालय को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जिला स्तरीय जागरूकता शिविर में प्रस्तुतीकरण किया जा सके। यदि आवश्यक हो तो संबंधित कार्यालयों द्वारा प्रस्तुतीकरण का अनुवाद क्षेत्रीय भाषा में कराया जा सकता है और **जागरूकता शिविर** व्यय संबंधित कार्यालयों को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए दी गई निधि से किया जा सकता है।

<u>वित्तीय व्यवस्था</u>

१.	प्रमंरोसृका पर पैम्फ्लेट का मुद्रण	रु.५०००
२.	स्थानीय विज्ञापन	रु.५०००
३.	वाहन प्रभार	रु.१०००
४.	चाय / नाश्ता	रु.३०००
५.	आकस्मिक व्यय	रु.१०००
६.	सभागार / ध्वनि विस्तार प्रणाली का किराया	रु.४५००
७.	प्रस्तुतीकरण के लिए लैपटॉप और प्रोजेक्टर का किराया	रु.५००
	जोड़	**रु. २०,०००**

समग्र आवंटन के भीतर व्यय की मदों में आंतरिक परिवर्तन की अनुमति है।

प्रमंरोसृका पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

ये कार्यशालाएँ राज्य के खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएँगी।

१. प्रतिभागी

i) राज्य सरकार के अधिकारी, अधिमानत: सचिव / संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त

ii) उद्योग विभाग के सचिव / संयुक्त सचिव

iii) एसएसआई / डीआरडीए के राज्य स्तरीय अधिकारी

iv) राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक

v) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्रीय / अंचल प्रबंधक / अग्रणी बैंक प्रबंधक

vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष

vii) भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबंधक

viii) राज्य में प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन के लिए गठित राज्य कार्य दल समिति द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक के प्रबंध निदेशक

ix) राज्य में प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन के लिए गठित राज्य कार्य दल समिति द्वारा अनुमोदित सहकारी बैंकों के अध्यक्ष

x) नाबार्ड और सिडबी के अधिकारी

xi) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारी

xii) राज्य खाग्रा बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रबंध निदेशक / सचिव / कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारी

xiii) राज्य के गैर-सरकारी संगठन

xiv) जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधक

xv) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

xvi) प्रमंरोसृका लाभार्थी

२. शिविर की अवधि

४ से ६ घंटे

३. शामिल किए जाने वाले विषय

क) खाग्रा आयोग का अधिकारी आयोग, उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उसके कार्यों और प्रतिबद्धताओं, जिला उद्योग केंद्रों की भूमिका, ग्रामीण औद्योगिकीकरण में खाग्रा आयोग की भूमिका और उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानकारी देगा और उसके बाद एक प्रस्तुतीकरण देगा, जो अधिमानतः पावर प्वाइंट में होगा। प्रस्तुतीकरण में योजना और उसकी परिचालन-कार्यविधि के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

ख) योजना के संबंध में खाग्रा आयोग द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों/ अनुदेशों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी जाएगी और यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के प्रस्तुतीकरण से संबंधित सामग्री/ कंप्यूटर फ्लॉपी या तो स्थानीय भाषा में तैयार कराई जा सकती है या योजना का हिन्दी/अंग्रेजी पाठ केंद्रीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, ताकि पूरे देश में प्रस्तुतीकरण में एकरूपता रहे।
तथापि, स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अपेक्षित आशोधन किए जा सकते हैं।

ग) उपर्युक्तानुसार आरंभिक परिचय देने के बाद खाग्रा आयोग के अधिकारी को विषय को खुली चर्चा के लिए छोड़ना चाहिए जिसमें उठाए जाने वाले मुद्दों पर उन्हें अपेक्षित स्पष्टीकरण देना होगा या प्रमंरोसृका उद्यमियों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान देना होगा।

घ) शिविर में खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र एक सफल उद्यमी से लोगों को परिचित कराएँगे, जो अपने अनुभव दूसरों को बताएगा।

ड।) शिविर में स्थनीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों और क्षेत्र में अन्य संभावित उद्योगों पर चर्चा होगी।

च) शिविर में स्थनीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल और बाजार आउटसोर्सिंग के संक्रेंद्रण के आधार पर, पहले ही संप्रेषित किए जा चुके समूह-वार और उद्योग-वार लक्ष्यों पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए ताकि इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

छ) जागरूकता-शिविर के आयोजक अधिकारियों को एक उपस्थिति-पंजी रखनी चाहिए और उठाई जाने वाली समस्याओं और उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों को अभिलिखित करने के लिए अलग पंजी रखनी चाहिए। शिविर का कार्यवृत्त और उसमें भाग लेने वालों की सूची राज्य निदेशक और अंचल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ज) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिविर स्थल पर खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र का बैनर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

टिप्पणी

राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के बाद, कार्यशाला के उपस्थिति और फोटोग्राफ के साथ उसका कार्यवृत्त निश्चित रूप से निदेशक (ग्रारोसृका / प्रमंरोसृका) को प्रस्तुत करना होगा। प्रतिवेदन के प्राप्त न होने के परिणामस्वरूप निधियों की मंजूरी आगे रुक सकती है।

प्रत्येक कार्यशाला में खाग्रा आयोग के प्रमंरोसृका का बैनर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

कार्यशाला के लिए वित्तीय व्यवस्था

१।	सभागार, कुर्सी आदि का किराया	रु. ५०,०००/-
२।	ध्वनि विस्तार प्रणाली का किराया	रु. १०,०००/-
३।	मुद्रण और लेखन सामग्री	रु. ५०,०००/-
४।	चाय / नाश्ता	रु.१०,०००/-
५।	बैनर / डिस्प्ले	रु. १०,०००/-
६।	विविध व्यय	रु. २०००/-
७।	वाहन प्रभार	रु. ८०००/-
८।	स्थानीय विज्ञापन	रु. ६०,०००/-
	कुल	**रु.२,००,०००/-**

समग्र आवंटन के भीतर व्यय की मदों में आंतरिक परिवर्तन की अनुमति है।

स्टाफ प्रशिक्षण के लिए राज्य-स्तरीय कार्यशाला

चूँकि नई योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसलिए खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों के फील्ड स्टाफ को योजना के कार्यान्वय की कार्यविधि का प्रशिक्षण देना होगा। उन्हें योजना के मार्गनिर्देशों, परिचालनात्मक कार्यविधि, और अन्य परिचालनात्मक गतिविधियों का प्रशिक्षण देना होगा ताकि योजना का कार्यान्वयन सही परिप्रेक्ष्य में किया जा सके। इस प्रयोजन से खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों और बैंकों के स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय कार्याशालाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रति बैठक व्यय को रु. २०,०००/- तक सीमित रखना होगा। ये सभी कार्यशालाएँ योजना के कार्यान्वयन के पहले वर्ष में आयोजित की जाएँगी, इन कार्यशालाओं के लिए खाग्रा आयोग के फील्ड कार्यालयों को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए दी गई निधि से व्यय किया जाएगा।

तिमाही बैंकर समीक्षा बैठकें

(i) अग्रणी बैंक प्रबंधकों की बैठक

इस बैठक का आयोजन खाग्रा आयोग के राज्य / प्रमंडलीय कार्यालयों द्वारा खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य अग्रणी बैंक प्रबंधक स्तर पर बैंक अधिकारियों को प्रमंरोसृका, इसके लक्ष्यों और कार्यान्वयन के विषय में जानकारी देना और उनमें जागरूकता पैदा करना होगा। खाग्रा आयोग इन बैठकों के आयोजन का व्यय वहन करेगा। संबंधित व्ययों की पूर्ति की राशि रु. २५,०००/- प्रति बैठक तक सीमित होगी।

(ii) आंचलिक समीक्षा बैठक

प्रमंरोसृका योजना की समीक्षा के लिए खाग्रा आयोग प्रत्येक तिमाही में एक बार छहो अंचलों में आंचलिक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा, जिसमें खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि भाग लेंगे। संबंधित बैंक अधिकारी भी आमंत्रित किए जाएँगे। संगत व्ययों के लिए खाग्रा आयोग की व्यय की राशि रु. ५०,००० प्रति बैठक प्रति अंचल तक सीमित रखेगा।

(iii) शीर्ष स्तरीय बैंकर बैठक

खाग्रा आयोग प्रत्येक छमाही में (जून और दिसंबर में) शीर्ष स्तरीय बैंकर बैठक आयोजित करेगा, ताकि वित्तीय वर्ष के आरंभ और अंत में समुचित निगरानी की जा सके। अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाग्रा आयोग की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सूलमउ मंत्रालय के प्रतिनिधि, राज्य जिला उद्योग केंद्र, और खाग्रा बोर्ड भाग लेंगे। इस बैठक में लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी और प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन में बैंकों से जुड़े मसलों पर नीतिगत निर्णय लिए जाएँगे। व्यय प्रति बैठक अधिकतम रु. ५.०० लाख तक सीमित होगा।

प्रदर्शनी

प्रदर्शनियों का आयोजन खाग्रा आयोग / खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्रों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

वित्तीय व्यवस्था :

- जिला स्तरीय प्रदर्शनी @ रु.१.०० लाख, कम से कम १० प्रमंरोसृका लाभार्थियों की सहभागिता
- जिला स्तरीय प्रदर्शनी @ रु.५.०० २५ लाख, २५ प्रमंरोसृका लाभार्थियों की सहभागिता
- अंचल स्तरीय प्रदर्शनी @ रु.२०.०० लाख, कम से कम ५० प्रमंरोसृका लाभार्थियों की सहभागिता
- राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी @ रु.४०.०० लाख, कम से कम १०० प्रमंरोसृका लाभार्थियों की सहभागिता।

अवधि :

जिला स्तरीय प्रदर्शनी	***न्यूनतम ३ दिन***
राज्य स्तरीय प्रदर्शनी	***न्यूनतम ७ दिन***
अंचल स्तरीय प्रदर्शनी	***न्यूनतम १० दिन***
राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी	***न्यूनतम १५ दिन***

प्रत्येक राज्य/ क्षेत्र/ संघशासित क्षेत्र के लिए निश्चित संख्या में प्रदर्शनियाँ आयोजित करने के लिए बजअ दिया जा रहा है, और उस बजट के भीतर इस बात की अनुमति है कि बिना अतिरिक्त बजट की माँग किए अधिक संख्या में प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएँ।

क्र.सं.	व्ययशीर्ष	जिला स्तर	राज्य स्तर	अंचल स्तर	राष्ट्रीय स्तर
१	पांडाल	१५,०००.००	५०,०००.००	१,००,०००.००	५,००,०००.००
२	मुद्रण सामग्री	१५,०००.००	५०,०००.००	५,००,०००.००	८,००,०००.००
३	प्रदर्शन डेमो	३५,०००.००	२,००,०००.००	५,००,०००.००	७,००,०००.००
४	प्रदर्शनी के समय स्थानीय मीडिया, समाचार पत्र आदि में विज्ञापन	२५,०००.००	१,५०,०००.००	८,००,०००.००	१५,००,०००.००
५	विविध व्यय	१०,०००.००	५०,०००.००	१,००,०००.००	५,००,०००.००
	जोड़	**१,००,०००.००**	**५,००,०००.००**	**२०,००,०००.००**	**४०,००,०००.००**

समग्र आवंटन के भीतर व्यय की मदों में आंतरिक परिवर्तन की अनुमति है।

निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा :

- प्रदर्शनी का उद्घाटन अधिमानतः माननीय मंत्री, उद्योग सचिव, विकास सचिव या समान स्तर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए।
- प्रदर्शनी के लिए सभी राज्य सरकारी संगठनों / गैर-सरकारी संगठनों / राज्य खाग्रा बोर्ड / जिला उद्योग केंद्र और बैंकों के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए।
- प्रदर्शनी स्थल पर क्रेता-विक्रेता सम्मेलन भी आयोजित किया जाए।
- आधे दिन का विचार-विमर्श सत्र आयोजित कर गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग और डिजाइन विकास विषयों पर अपेक्षित मार्गदर्शन दिया जाए। सहभागी तकनीकी उन्नयन, कौशल विकास और तकनीकी इंटरफेस पर भी परिचर्चा करें।

- सहभागियों को राज्य के बाहर की प्रदर्शनियों में भाग लेने को प्रेरित किया जाए और बाहरी राज्यों के लाभार्थियों को ऐसी प्रदर्शनियों में आमंत्रित किया जाए और उतपादन/ विपणन के क्षेत्र में उनके विचारों और अनुभवों से राज्य के अन्य सहभागियों को अवगत कराया जाए।
- राज्य से बाहर सस्ती / सही दरों पर कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में पता लगाया जाए। भाषा की समस्या को दूर करने के लिए यदि आवश्यक हो तो दुभाषिये के माध्यम से संवाद स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। जहाँ भी संभव हो, विपणन की बाधाओं को दूर करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों और विपणन विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनसे मार्गदर्शन कराया जाए।
- विचार-विमर्श में अन्य तकनीकी विशेषज्ञों, जैसे डिजाइनरों, पैकेजरों, प्रिण्टरों, फेडरेशनों और विपणन विशेषज्ञों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए ताकि वे बिक्री के संवर्धन की दृष्टि से विभिन्न विषयों के महत्त्व पर बल दे सकें और अपने विचारों से उन्हें अवगत करा सकें।
- स्थानीय बैंकों, गैर-सरकारी संगठनों, नाबार्ड या ग्रामीण विकास को समर्पित अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से प्रदर्शनी के लिए सह-प्रायोजन की व्यवस्था की जा सकती है।
- प्रदर्शनी का विस्तृत प्रतिवेदन, फोटोग्राफों के साथ, निदेशक (ग्रारोसृका/ प्रमंरोसृका) को भेजी जाए।

संवर्धनात्मक कार्य

प्रमंरोसृका के संवर्धनात्मक कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए जाएँगे ५

१. महत्त्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग/ बैनर।

२. प्रमंरोसृका पर पोस्टरों का प्रकाशन।

३. खाग्रा बोर्ड/ जिला उद्योग केंद्र/ नियोजनालय के अधिकारियों/ ग्राम प्रधानों/ पंचायतों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन और प्रत्येक कार्यशाला और जागरूकता शिविर में उनकी सक्रिय सहभागिता पर बल।

४. इलेक्ट्रोनिक और प्रिण्ट मीडिया में प्रचार-प्रसार।

५. लाभार्थियों के विवरण के साथ ग्रामोद्योग निर्देशिका का मुद्रण।

६. उक्त सभी कार्यों के लिए प्रत्येक विज्ञापन में खाग्रा आयोग के नाम, प्रमंरोसृका योजना और सूलमउ मंत्रालय का निश्चित उल्लेख होना चाहिए और प्रतिवेदन/ फोटोग्राफ भेजते समय खाग्रा आयोग, प्रमंरोसृका और सूलमउ मंत्रालय के उल्लेख वाले विज्ञापनों की क्लिपिंग्स ग्रारोसृका/

प्रमंरोसृका निदेशालय को अवश्य भेजी जानी चाहिए जिसके अभाव में आगे निधियाँ नहीं जारी की जाएँगी।

प्रमंरोसृका से संबंधित आवेदन पत्रों का मुद्रण :

खाग्रा आयोग राज्य खा.ग्रा.मंडल एवं जिला उद्योग केन्द्र हिसाब से आवेदन पत्रों, मार्जिन राशि दावे के फार्मेट, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण के फार्मेट के मुद्रण की व्यवस्था करेंगे, अर्थात् बैंकों को खाग्रा आयोग द्वारा प्रेषित परियोजनाओं के लिए सफेद रंग में, खाग्रा बोर्ड के माध्यम से प्रेषित परियोजनाओं के लिए पीले रंग में, और जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से प्रेषित परियोजनाओं के लिए आसमानी नीले रंग में/ इसके लिए व्यय उन्हें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए दी गई निधि से किया जाना चाहिए।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लाभार्थी को प्रायोजित करने के लिए फार्मेट

लाभार्थी का अभिप्रमाणित फोटो

१	लाभार्थी का नाम और पता		
२	कार्य का नाम		
३	इकाई का स्थान		
४	लाभार्थी अजा/ अजजा/ अपिव/ अल्पसंख्यक/ पूर्व-सैनिक/ शारीरिक विकलांग/ महिला श्रेणी से है या सामान्य श्रेणी से		
५	वित्तपोषक बैंक का नाम और पता		
६	परियोजना की कुल लागत	पूँजी व्यय	कार्यशील पूँजी
७	तारीख सहित मंजूर राशि		
८	यदि लाभार्थी कोई संस्था, न्यास, सहकारी समिति है, तो प्रतिनिधि का नाम व पदनाम	नाम ________________________ पदनाम ______________________	

मैं एतद्द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान में उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण ले रहे/ रही श्री/ श्रीमती/ कुमारी ______________________________ को प्रायोजित करता हूँ।

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

स्थान :
दिनांक :

सेवा में,

१) प्रधानाचार्य,
____

२) राज्य/ प्रमंडलीय निदेशक
खाग्रा आयोग _______________ को सूचनार्थ

....
....
....

(प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र)

ऊपर उल्लिखित बैंक द्वारा प्रायोजित
श्री/ श्रीमती/ कुमारी ____ ने २-३ सप्ताह
का उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण दिनांक ___________ से ___________ तक
प्राप्त किया। कृपया रु। ________________ के व्यय की प्रतिपूर्ति शीघ्र भेजें।

प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य/ प्रभारी
के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

सेवा में,
राज्य निदेशक,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
____
____

सेवा में,
प्रमंडलीय निदेशक,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
____
____
प्रति प्रेषित : शाखा प्रबंधक (वित्तपोषक शाखा)
____
____

अ

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रमंरोसृका) एवं प्रचार-प्रसार

I. उद्देश्य :

लक्ष्य समूहों, अर्थात् ग्रामीण कारीगरों, ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों, और साथ ही बैंकरों, नीति निर्माताओं, और ग्रामीण विकास के कार्य में लगे अन्य संगठनों के बीच प्रमंरोसृका को बढ़ावा देना और प्रचारित-प्रसारित करना।

जन संप्रेषण के प्रभावशाली प्रसार-माध्यमों - जैसे प्रेस में दिए जाने वाले विज्ञापनों, लीफलेट, पोस्टर आदि सहित प्रिंट मीडिया, रेडियो और टीवी सहित इलेक्ट्रोनिक मीडिया, होर्डिंग, जागरूकता शिविर आदि बाह्य प्रचार माध्यमों का उपयोग।

II. कार्रवाई योजना :

उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह प्रस्ताव है कि खाग्रा आयोग के फील्ड कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीकृत अभियानों के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियाँ चलाई जाएँ :

I) विज्ञापन अभियान :

अ) प्रिंट मीडिया :

प्रिंट मीडिया में निम्नलिखित शामिल हैं :

क) अखबार

ख) पत्रिकाएँ

ग) पोस्टर, लीफलेट आदि।

यह प्रस्तावित है कि डीएवीपी दर पर प्रमंरोसृका की घोषणा का आधे पृष्ठ का राज्यवार विज्ञापन अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों में प्रकाशित किए जाएँ जिनमें प्रमंरोसृका योजना के आरंभ की घोषणा हो और उसकी विशेषताएँ बताई गई हों। इसके बाद अखबारों की स्थानीय प्रसार संख्या और

ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पहुँच के आधार पर प्रमंरोसृका को बढ़ावा देने के लिए प्रमंरोसृका पर विज्ञापन और प्रेस फीचर दिए जाएँ। विज्ञापन विशेष अवसरों और उत्सवों के मौके पर जारी किए जाएँगे, जैसे

- स्वतंत्रता दिवस,
- गणतंत्र दिवस,
- महात्मा गाँधी जयंती,
- होली,
- उपभोक्ता दिवस,
- पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, आदि।

और इसके साथ ही विज्ञान भवन, अशोक हॉल आदि स्थानों पर आयोजित राष्ट्रीय समारोहों, संगोष्ठियों आदि के मौके पर भी।

इसी प्रकार, इंडिया टुडे, आउटलुक, फ्रंटलाइन जैसी प्रमुख पत्रिकाओं; नमस्कार, दर्पण, स्वागत जैसी वायुयान में दी जाने वाली पत्रिकाओं; विमेन्स' एरा, सरिता, गृहलक्ष्मी जैसी अन्य पत्रिकाओं; मलयाला मनोरमा जैसी क्षेत्रीय भाषा की पत्रिकाओं में विज्ञापकीय (एडवर्टोरियल) प्रकाशित किए जाएँगे। प्रमंरोसृका योजना को बढ़ावा देने के लिए लीफलेट और पोस्टर भी मुद्रित कराए जाएँगे, जिन्हें खाग्रा आयोग/ खाग्रा बोर्ड के कार्यालयों, बैंकों में प्रदर्शित किया जाएगा और जागरूकता शिविरों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों आदि के अवसर पर बाँटा जाएगा और अखबारों में मेलरों और क्लिप मेल के रूप में दिया जाएगा।

<u>आ. इलेक्ट्रोनिक मीडिया :</u>

इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन में निम्नलिखित शामिल होंगे :

i) रेडियो जिंगल

ii) टीवी विज्ञापन स्पॉट

iii) टीवी स्ट्रिप

iv) प्रमंरोसृका पर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रायोजित करना

v) अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि के साक्षात्कार

vi) प्रमंरोसृका पर टीवी सीरियल

vii) ग्रारोसृका की सफलता की कहानियों को लेकर प्रमंरोसृका की भविष्यगत संभावनाओं और ग्रामीण भारत को इससे होने वाले फायदों को दिखाने वाली लघु फिल्म

viii) याहू, गूगल, रेडिफमेल, एमएसएन।कॉम आदि विभिन्न साइटों पर इंटरनेट के माध्यम से विज्ञापन

इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया विज्ञापनों के लिए भी डीएवीपी दरों पर जोर दिया जाएगा।

इ. बाहरी प्रचार-प्रसार :

बाहरी प्रचार-प्रसार निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा :

i) हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों आदि पर होर्डिंग

ii) फ्लेक्स बैनर

iii) ट्रान्सलाइटें

iv) बस पैनल

v) ट्रेन पैनल

vi) ट्रेन टिकटों पर विज्ञापन

जिला स्तर पर प्रमंरोसृका योजना के प्रचार-प्रसार के लिए कलक्टर कार्यालय, बस अड्डों, ब्लॉक पंचायतों और रेलवे स्टेशनों या पंचायत कार्यालयों के सामने होर्डिंग लगाए जाएँगे। सभी राज्यों की राजधानियों के हवाई अड्डों पर भी होर्डिंग लगाए जाएँगे। यह प्रस्तावित है कि होर्डिंग लगाने के लिए वर्ष २००८-०९ में ३०० जिलों का लक्ष्य रखा जाएगा। स्थानीय रूप से होर्डिंग लगाने का काम राज्य/ प्रमंडलीय निदेशक करेंगे। विषय-वस्तु में प्रमंरोसृका योजना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और बेरोजगार कारीगरों और ग्रामीणों को योजना का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और उसे व्यावसायिक विज्ञापन अभिकरणों के सहयोग से तैयार किया जाएगा।

III. प्रेस सम्मेलन और प्रेस के माध्यम से प्रचार-प्रसार :

फीचरों और आलेखों के रूप में प्रमंरोसृका के प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्त कवरेज दिया जाएगा। इस प्रयोजन से विभिन्न विशेष आयोजनों, उपलब्धियों आदि के समय प्रेस के साथ संवाद, प्रेस बैठक और प्रेस सम्मेलनों का नियमित आयोजन किया जाएगा। इस प्रयोजन से प्रेस और मीडिया के साथ संबंध और संपर्क के क्षेत्र के किसी व्यावसायिक की सेवाएँ संविदा आधार पर ली जाएँगी।

IV.प्रकाशनों, साहित्य आदि का मुद्रण :

यह प्रस्ताव है कि प्रमंरोसृका को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रकाशन/ साहित्य सामने लाए जाएँ:-

i) संभावित लाभार्थियों के फायदे के लिए २०० परियोजना प्रोफाइल।

ii) प्रमंरोसृका और उसकी प्रमुख विशेषताओं पर अंग्रेजी और हिंदी तथा स्थानीय भाषा में लीफलेट।

iii) खाग्र आयोग और खाग्रा बोर्ड के फील्ड कार्यालयों और बैंकों के उपयोग के लिए प्रमंरोसृका और उसके परिचालन के तौर-तरीकों पर एक पुस्तिका।

iv) ग्रारोसृका इकाइयों की सफलता की कहानियों पर एक पुस्तक जिससे प्रमंरोसृका के संभावित लाभार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

V.प्रमंरोसृका वेबसाइट बनाना :

ग्रारोसृका/प्रमंरोसृका वेबसाइट का डिजाइन तैयार किया जा चुका है और उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। साइट पर सभी संगत परिपत्र, नीतिगत मार्गनिर्देश और ग्रारोसृका इकाइयों और उनके उत्पादों का आँकड़ा-आधार उपलब्ध होगा। साइट पर नई घटनाओं, नीतिगत परिपत्रों, महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के विवरण, प्रगति प्रतिवेदन आदि भी उपलब्ध होंगे।

VI.जागरूकता शिविर/ जन शिक्षा कार्यक्रम :

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमंरोसृका योजना को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव है जिसमें निम्नलिखित अभिकरणों को शामिल किया जाएगा :

i) पंचायती राज संस्थाएँ।

ii) नेहरू युवा केंद्र।

iii) महिला विकास संगठन।

iv) राज्य स्तरीय अजा/ अजजा और अल्पसंख्यक विकास संगठन।

v) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना।

vi) बैंक।

vii) खादी ग्रामोद्योग संस्थाएँ।

अभियान में अजा/अजजा और अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं सहित ग्रामीण युवाओं को प्रमंरोसृका योजना की ओर उन्मुख करने और स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रस्ताव है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक अभियान चलाया जाए, अर्थात् प्रति वर्ष ६०३ अभियान, जिन्हें खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्ड या किसी खादी संस्था सहित किसी प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा सकता है। योजना के बारे में जानकारी देने और ऐसे अभियानों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुप्रवर्तन के लिए बैंकों को भी इनमें शामिल किया जाएगा। खाग्रा आयोग के संबंधित राज्य/ प्रमंडलीय कार्यालय में संभावित लाभार्थियों की एक विस्तृत सूची मेन्टेन की जाएगी और आवेदन पत्र वितरित कर, तथा लाभार्थी जिस परियोजना में रुचि रखता/ रखती है, उसके विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों के आँकड़े एकत्र किए जाएँगे। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों की जाँच स्थानीय समिति द्वारा की जाएगी और चुने गए आवेदकों को निकट स्थित बहु-विषयी प्रशिक्षण केंद्र या प्रमाणीकृत केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण/ कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिसके बाद उन्हें परियोजना निर्माण में सहायता दी जाएगी और फिर परियोजना को मंजूरी के लिए बैंकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। स्थानीय समिति में बैंकर को भी शामिल किया जाएगा प्रमंरोसृका के अंतर्गत व्यवहार्य परियोजनाओं की मंजूरी सुनिश्चित की जा सके।

प्रमंरोसृका योजना के प्रचार व प्रसार के लिए प्रचार-प्रसार निदेशालय खा.ग्रा.आयोग एवं राज्य सरकार के पास उपलब्ध निधियों का भी उपयोग किया जा सकेगा।